

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 जुलाई, 2021

संख्या सांका०नि० 12/संवि०/अनु० 309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा राज्य वन विभाग कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
'(ज) "वन दरोगा प्रशिक्षण" से अभिप्राय है, इन नियमों में यथा विहित वन विद्यालय में उप वन राजिक अथवा वन दरोगा द्वारा किया जाने वाला प्रशिक्षण ;'।
- उक्त नियमों में, नियम 5 में, "पैंतीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- उक्त नियमों में, नियम 10 में,—
(i) उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
“(2) उप वन राजिक तथा वन दरोगा, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो ग्यारह मास की अवधि तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है, तो तीन मास की अवधि के लिए वन विद्यालय में वन दरोगा प्रशिक्षण के लिए जाएगा। सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त वन रक्षक, पाँच मास तथा पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वन विद्यालय में वन रक्षक प्रशिक्षण के लिए जाएगा। उपरोक्त प्रशिक्षण, परिशिष्ट ड. में अधिकथित शर्तों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।” तथा
(ii) उप नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
“(4) सेवा का सदस्य वन विद्यालय से वन दरोगा प्रशिक्षण या वन रक्षक प्रशिक्षण की अन्तिम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सेवा के सदस्य को विशेष वेतन के रूप में दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान की जाएंगी।”।
- उक्त नियमों में, नियम 15 में,—
(i) उप नियम (1) में, “हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987” शब्दों, कोष्ठकों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, “हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा
(ii) उप नियम (2) में, “हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ)” शब्दों, कोष्ठकों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, “हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ)” शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- उक्त नियमों में, परिशिष्ट क तथा ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	वन राजिक	126	एफ.पी.एल.-6 (सैल-1) = ₹ 35400
2.	उप वन राजिक	123	एफ.पी.एल.-6 (सैल-1) = ₹ 35400
3.	वन दरोगा	527	एफ.पी.एल.-5 (सैल-1) = ₹ 29200
4.	वन रक्षक	1547	एफ.पी.एल.-3 (सैल-1) = ₹ 21700

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो																								
1.	वन राजिक	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में से कम से कम एक विषय के साथ विज्ञान या इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष :- (i) कृषि विज्ञान (ii) वनस्पति विज्ञान (iii) रसायन विज्ञान (iv) कम्प्यूटर अनुप्रयोग / कम्प्यूटर विज्ञान (v) इंजीनियरिंग (कृषि / रसायनिक / सिविल / कम्प्यूटर / विद्युतीय / इलेक्ट्रानिक्स / यांत्रिक) (vi) पर्यावरण विज्ञान (vii) वानिकी (viii) भू विज्ञान (ix) बागवानी (x) गणित (xi) भौतिकी (xii) सांख्यिकीय (xiii) पशु चिकित्सा विज्ञान (xiv) प्राणी विज्ञान ; (ख) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी / संस्कृत ; तथा (ग) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: <table><tr><td>पुरुष</td><td>महिला</td></tr><tr><td>(i) कद 163 से.मी.</td><td>150 से.मी.</td></tr><tr><td>(ii) छाती</td><td></td></tr><tr><td>बिना फुलाए 79 से.मी.</td><td>74 से.मी.</td></tr><tr><td>फुलाकर 84 से.मी.</td><td>79 से.मी.</td></tr></table> अनुसूचित जनजातियों तथा मूल वंश जैसे कि असमी, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाउं, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्कीम और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पिति तथा मेघालय से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम ऊंचाई मापदण्ड अनुमत किया जा सकता है :- <table><tr><td>पुरुष उम्मीदवार</td><td>152 से.मी.</td></tr><tr><td>महिला उम्मीदवार</td><td>145 से.मी.</td></tr></table> (iii) पुरुष द्वारा 25 किलोमीटर तथा महिला द्वारा 14 किलोमीटर की पैदल चलन परीक्षा चार घण्टे में पूरी की जाएंगी।	पुरुष	महिला	(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.	(ii) छाती		बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.	फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.	पुरुष उम्मीदवार	152 से.मी.	महिला उम्मीदवार	145 से.मी.	पदोन्नति द्वारा :- (i) उप वन राजिक के रूप में सात वर्ष का अनुभव ; (ii) परिशिष्ट ड. के अनुसार वन दरोगा प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया होना चाहिए ; स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों सहित विज्ञान स्नातक :- (i) भौतिक विज्ञान (ii) रसायन विज्ञान (iii) गणित / सांख्यिकीय (iv) जीव विज्ञान (v) वनस्पति विज्ञान (vi) भू विज्ञान या बी.एस.सी. (कृषि) या बी.एस.सी. (बागवानी) या बी. एस.सी. (वानिकी) अथवा सिविल / पर्यावरणात्मक इंजीनियरिंग / पर्यावरणात्मक विज्ञान में उपाधि ; (ख) वन राजिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव तथा वन विद्यालय से वन राजिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो ; (ग) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी / संस्कृत ; तथा (घ) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: <table><tr><td>पुरुष</td><td>महिला</td></tr><tr><td>(i) कद 163 से.मी.</td><td>150 से.मी.</td></tr><tr><td>(ii) छाती</td><td></td></tr><tr><td>बिना फुलाए 79 से.मी.</td><td>74 से.मी.</td></tr><tr><td>फुलाकर 84 से.मी.</td><td>79 से.मी.</td></tr></table>	पुरुष	महिला	(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.	(ii) छाती		बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.	फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.
पुरुष	महिला																										
(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.																										
(ii) छाती																											
बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.																										
फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.																										
पुरुष उम्मीदवार	152 से.मी.																										
महिला उम्मीदवार	145 से.मी.																										
पुरुष	महिला																										
(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.																										
(ii) छाती																											
बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.																										
फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.																										

2.	उप वन राजिक	(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों सहित इन्टरमिडिएट विज्ञान या 10+2 या इसके समकक्ष, :- (i) भौतिक विज्ञान (ii) रसायन विज्ञान (iii) गणित (iv) जीव विज्ञान (v) वनस्पति विज्ञान (vi) भू विज्ञान (vii) कृषि विज्ञान (viii) वानिकी ; अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से सिविल / पर्यावरणात्मक इंजीनियरिंग / पर्यावरणात्मक विज्ञान में उपाधि पत्र ; (ख) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी / संस्कृत ; तथा (ग) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: <table><tr><td>पुरुष</td><td>महिला</td></tr><tr><td>(i) कद 163 से.मी.</td><td>150 से.मी.</td></tr><tr><td>(ii) छाती</td><td></td></tr><tr><td>बिना फुलाए 79 से.मी.</td><td>74 से.मी.</td></tr><tr><td>फुलाकर 84 से.मी.</td><td>79 से.मी.</td></tr><tr><td>(iii) पुरुष द्वारा 25 किलोमीटर तथा महिला द्वारा 14 किलोमीटर की पैदल चलन परीक्षा चार घण्टे में पूरी की जाएंगी।</td><td></td></tr></table>	पुरुष	महिला	(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.	(ii) छाती		बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.	फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.	(iii) पुरुष द्वारा 25 किलोमीटर तथा महिला द्वारा 14 किलोमीटर की पैदल चलन परीक्षा चार घण्टे में पूरी की जाएंगी।		पदोन्नति द्वारा :- (i) वन दरोगा के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) परिशिष्ट ड. के अनुसार वन दरोगा प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया होना चाहिए; स्थानान्तरण अथवा प्रति नियुक्ति द्वारा:- (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों सहित इन्टरमिडिएट विज्ञान या 10+2 या इसके समकक्ष, ; (i) भौतिक विज्ञान (ii) रसायन विज्ञान (iii) गणित (iv) जीव विज्ञान (v) वनस्पति विज्ञान (vi) भू विज्ञान (vii) कृषि विज्ञान (viii) वानिकी ; अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से सिविल / पर्यावरणात्मक इंजीनियरिंग / पर्यावरणात्मक विज्ञान में उपाधि पत्र ; (ख) उप वन राजिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव तथा वन विद्यालय से उप वन राजिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो ; (ग) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी / संस्कृत ; तथा (घ) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: <table><tr><td>पुरुष</td><td>महिला</td></tr><tr><td>(i) कद 163 से.मी.</td><td>150 से.मी.</td></tr><tr><td>(ii) छाती</td><td></td></tr><tr><td>बिना फुलाए 79 से.मी.</td><td>74 से.मी.</td></tr><tr><td>फुलाकर 84 से.मी.</td><td>79 से.मी.</td></tr></table>	पुरुष	महिला	(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.	(ii) छाती		बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.	फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.
पुरुष	महिला																								
(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.																								
(ii) छाती																									
बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.																								
फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.																								
(iii) पुरुष द्वारा 25 किलोमीटर तथा महिला द्वारा 14 किलोमीटर की पैदल चलन परीक्षा चार घण्टे में पूरी की जाएंगी।																									
पुरुष	महिला																								
(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.																								
(ii) छाती																									
बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.																								
फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.																								
3.	वन दरोगा	(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से कला / विज्ञान में इन्टरमीडिएट या विज्ञान ग्रुप / कला / वाणिज्य में 10+2 या इसके समकक्ष बशर्ते एक विषय के रूप में विज्ञान / सामान्य विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो ; (ख) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी / संस्कृत ; तथा (ग) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: <table><tr><td>पुरुष</td><td>महिला</td></tr><tr><td>(i) कद 163 से.मी.</td><td>150 से.मी.</td></tr><tr><td>(ii) छाती</td><td></td></tr><tr><td>बिना फुलाए 79 से.मी.</td><td>74 से.मी.</td></tr><tr><td>फुलाकर 84 से.मी.</td><td>79 से.मी.</td></tr></table>	पुरुष	महिला	(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.	(ii) छाती		बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.	फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.	पदोन्नति द्वारा : (i) वन रक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव; (ii) परिशिष्ट ड. के अनुसार वन दरोगा प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया होना चाहिए; स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:- (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से कला / विज्ञान में इन्टरमीडिएट या विज्ञान ग्रुप / कला / वाणिज्य में 10+2 या इसके समकक्ष बशर्ते एक विषय के रूप में विज्ञान / सामान्य विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो ; (ख) वन दरोगा के रूप में दस वर्ष का अनुभव तथा वन विद्यालय से वन दरोगा प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो ;												
पुरुष	महिला																								
(i) कद 163 से.मी.	150 से.मी.																								
(ii) छाती																									
बिना फुलाए 79 से.मी.	74 से.मी.																								
फुलाकर 84 से.मी.	79 से.मी.																								

		(iii) पुरुष द्वारा 25 किलोमीटर तथा महिला द्वारा 14 किलोमीटर की पैदल चलन परीक्षा चार घण्टे में पूरी की जाएंगी।	(ग) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत ; तथा (घ) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: पुरुष महिला (i) कद 163 से.मी. 150 से.मी. (ii) छाती बिना फुलाए 79 से.मी. 74 से.मी. फुलाकर 84 से.मी. 79 से.मी
4.	वन रक्षक	(क) किसी मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा ; (ख) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत ; तथा (ग) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: पुरुष महिला (i) कद 163 से.मी. 150 से.मी. (ii) छाती बिना फुलाए 79 से.मी. 74 से.मी. फुलाकर 84 से.मी. 79 से.मी (iii) पुरुष द्वारा 25 किलोमीटर तथा महिला द्वारा 14 किलोमीटर की पैदल चलन परीक्षा चार घण्टे में पूरी की जाएंगी।	पदोन्नति द्वारा : (क) किसी मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा ; (ख) प्रधान माली/माली के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव: (ग) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत ; तथा (घ) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: पुरुष महिला (i) कद 163 से.मी. 150 से.मी. (ii) छाती बिना फुलाए 79 से.मी. 74 से.मी. फुलाकर 84 से.मी. 79 से.मी (iii) पुरुष द्वारा 25 किलोमीटर तथा महिला द्वारा 14 किलोमीटर की पैदल चलन परीक्षा चार घण्टे में पूरी की जाएगी। स्थानान्तरण अथवा प्रति नियुक्ति द्वारा:- (क) किसी मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा ; (ख) वन रक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव तथा वन विद्यालय से वन रक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो ; (ग) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत ; तथा (घ) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड: पुरुष महिला (i) कद 163 से.मी. 150 से.मी. (ii) छाती बिना फुलाए 79 से.मी. 74 से.मी. फुलाकर 84 से.मी. 79 से.मी।”।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 15 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	वन राजिक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	I. छोटी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित । II. बड़ी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित ।	मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सरकार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक —
2.	उप वन राजिक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	I. छोटी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित । II. बड़ी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित ।	मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक सरकार
3.	वन दरोगा	वन संरक्षक	I. छोटी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित । II. बड़ी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित ।	वन मण्डल अधिकारी वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4.	वन रक्षक	वन मण्डल अधिकारी	I. छोटी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित । II. बड़ी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित ।	वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक”।”

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ड. के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परिशिष्ट ड.

(देखिए नियम 10)

वन दरोगा तथा वन रक्षक प्रशिक्षण के लिए शर्तें तथा पाठ्यक्रम

प्रशिक्षण की अवधि।	1. प्रशिक्षण अवधि निम्न अनुसार होगी :- <table border="1"> <tr> <th>प्रशिक्षण का नाम</th><th>प्रशिक्षण अवधि</th></tr> <tr> <td>सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।</td><td>11 मास</td></tr> <tr> <td>पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।</td><td>3 मास</td></tr> <tr> <td>सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए वन रक्षकों का प्रशिक्षण।</td><td>5 ^{1/2} मास</td></tr> </table>	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।	11 मास	पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।	3 मास	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए वन रक्षकों का प्रशिक्षण।	5 ^{1/2} मास
प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि								
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।	11 मास								
पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।	3 मास								
सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए वन रक्षकों का प्रशिक्षण।	5 ^{1/2} मास								
	प्रशिक्षण में क्षेत्र में व्यावहारिक कार्यों के साथ-साथ थ्योरी भी शामिल होगी। पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए वन दरोगाओं तथा वन रक्षकों के लिए प्रतिवर्ष दो प्रशिक्षण कोर्स संचालित किए जाएंगे।								
दौरे तथा भ्रमण।	2. व्यावहारिक कार्यों हेतु, प्रशिक्षण के दौरान दौरे तथा भ्रमण कार्यक्रम निम्नानुसार से आयोजित किए जाएंगे :- <table border="1"> <tr> <th>प्रशिक्षण का नाम</th><th>दौरे तथा भ्रमण की अवधि</th></tr> <tr> <td>सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।</td><td>3 मास</td></tr> <tr> <td>पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।</td><td>1 मास</td></tr> <tr> <td>सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए वन रक्षकों का प्रशिक्षण।</td><td>1 ^{1/2} मास</td></tr> </table>	प्रशिक्षण का नाम	दौरे तथा भ्रमण की अवधि	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।	3 मास	पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।	1 मास	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए वन रक्षकों का प्रशिक्षण।	1 ^{1/2} मास
प्रशिक्षण का नाम	दौरे तथा भ्रमण की अवधि								
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।	3 मास								
पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए उप वन राजिक तथा वन दरोगाओं का प्रशिक्षण।	1 मास								
सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए वन रक्षकों का प्रशिक्षण।	1 ^{1/2} मास								
	सामान्यतः दौरे तथा भ्रमण वन विद्यालय से बाहर आयोजित किए जाएंगे ताकि प्रशिक्षणार्थियों को वानिकी और संबंधित विषयों के वैज्ञानिक ज्ञान के साथ सुसज्जित किया जा सके। यह दौरे तुलनात्मक अभ्यास के लिए हरियाणा और आस-पास के राज्यों में करवाए जाएंगे। व्यावहारिक कार्यों के लिए साप्ताहिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। दौरा तथा भ्रमण के आधार पर दौरा टैस्ट लिया जाएगा।								
परीक्षा।	3. अन्तिम परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। तथापि, श्रेणी टैस्ट तथा दौरा टैस्ट अनुदेशक द्वारा आयोजित किए जाएंगे। अंको की अनुसूची इस परिशिष्ट के अनुबन्ध- I क, अनुबन्ध- I ख तथा अनुबन्ध- II में दी गई है।								
परिणाम की उद्घोषणा।	4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी को परीक्षा तथा टैस्टों के आधार पर निम्नलिखित ग्रेड दिए जाएंगे। <table border="0"> <tr> <td>प्राप्त अंक</td><td>ग्रेड</td></tr> <tr> <td>(क) प्रत्येक विषय में तथा कुलयोग 40 प्रतिशत से कम नहीं</td><td>उत्तीर्ण</td></tr> <tr> <td>(ख) प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत से कम नहीं तथा कुलयोग 80 प्रतिशत या से अधिक</td><td>ओनर सहित उत्तीर्ण</td></tr> </table>	प्राप्त अंक	ग्रेड	(क) प्रत्येक विषय में तथा कुलयोग 40 प्रतिशत से कम नहीं	उत्तीर्ण	(ख) प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत से कम नहीं तथा कुलयोग 80 प्रतिशत या से अधिक	ओनर सहित उत्तीर्ण		
प्राप्त अंक	ग्रेड								
(क) प्रत्येक विषय में तथा कुलयोग 40 प्रतिशत से कम नहीं	उत्तीर्ण								
(ख) प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत से कम नहीं तथा कुलयोग 80 प्रतिशत या से अधिक	ओनर सहित उत्तीर्ण								

प्रमाणपत्र देना।	5. प्रशिक्षण की समाप्ति पर, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों सहित मैरिट सूची तैयार तथा घोषित की जाएगी। प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उनके कार्यालय में परिणाम की प्रति प्राप्त होने पर यथा शीघ्र प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
पुनः परीक्षा।	6. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी नियम 10 के अधीन सफल नहीं होता है, तो बोर्ड ऐसे प्रशिक्षणार्थी को किन्हीं दो विषयों में पुनः बैठने के लिए कह सकता है ताकि इन विषयों में तथा कुलयोग में आवश्यक उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सके।
पुरस्कार।	7. अन्तिम परीक्षा की समाप्ति पर, निम्नलिखित ईनाम प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाएंगे:— (i) प्रशिक्षण में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी को रजत पदक (ii) अच्छे व्यावहारिक वन दरोगा : मैरिट प्रमाण-पत्र
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या।	8. प्रत्येक प्रशिक्षण में लगभग 30 प्रशिक्षणार्थी होंगे।
पात्रता।	9. विहित योग्यताएं रखने वाले उप वन राजिक, वन दरोगा तथा वन रक्षक ज्येष्ठता के आधार पर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।
प्रशिक्षणार्थियों की वर्दी।	10. प्रशिक्षणार्थी स्वयं वन विद्यालय द्वारा यथा अपेक्षित पुस्तकों तथा लेखन सामग्री का प्रबन्ध करेंगे। एकरूपता लाने के लिए वन विद्यालय द्वारा वर्दी का प्रबन्ध किया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षणार्थी के प्रायोजक मण्डल संगठन द्वारा खर्च वहन किया जाएगा।
प्रशिक्षण का प्रारम्भ होना।	11. इन नियमों में विहित प्रशिक्षण ऐसी तिथि, जो वन संरक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाए, से प्रारम्भ होंगे। पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए वन दरोगाओं तथा वन रक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व वन विद्यालय में रिपोर्ट करेंगे। किसी भी प्रशिक्षणार्थी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, की अनुज्ञा के सिवाय, को इसके प्रारम्भ होने के सात दिन बाद प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अनुज्ञा नहीं किया जाएगा।
यात्रा भत्ते।	12. प्रशिक्षणार्थी हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसार यात्रा भत्ता लेने के हकदार होंगे।
खराब प्रदर्शन के लिए अनुशासनिक कार्यवाई।	13. अनुदेशक, अनुदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता का निर्धारण करने के लिए प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने से एक मास बाद श्रेणी टैस्ट लेगा। टैस्ट को उत्तीर्ण नहीं करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ऐसी मन्त्रणा के एक मास के भीतर प्रदर्शन सुधार करने के लिए सलाह दी जाएगी। द्वितीय टैस्ट, उक्त अवधि की समाप्ति के तुरन्त बाद अनुदेशक द्वारा संचालित किया जाएगा। इस टैस्ट में सफल होने वाले प्रशिक्षणार्थी को प्रायोजक मण्डल संगठन के मण्डल वन अधिकारी को वापिस भेज दिया जाएगा, बशर्ते यह वन रक्षक प्रशिक्षण के मामले में वन संरक्षक और उप वन राजिक तथा वन दरोगा के मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित हो और वेतन तथा सभी भत्तों सहित प्रशिक्षण के लिए भुगतान किए गए सभी खर्च प्रशिक्षणार्थी से वसूले जाएंगे।
दण्ड।	14. यदि किसी प्रशिक्षणार्थी का आचरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो वह उसके प्रायोजक मण्डल के मण्डलीय वन अधिकारी को वापिस भेजे जाने के लिए दायी होगा तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 तथा हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई के लिए भी दायी होगा।
आवास तथा अन्य सुविधाएं।	15. सभी प्रशिक्षणार्थी, वन विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले छात्रावास में ठहरेंगे। फर्नीचर, बिजली, जल-आपूर्ति, छात्रावास साजों-सामान तथा अन्य सुख सुविधाएं वन विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी।
शारीरिक प्रशिक्षण।	16. खेलों तथा शारीरिक प्रशिक्षण में उपस्थिति आवश्यक होगी। खेलों का साजों-सामान वन विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
मैराथन दौड़।	17. प्रशिक्षण कोर्स के दौरान 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होगी। दौड़ के ब्योरे वन मण्डल अधिकारी द्वारा निश्चित किए जाएंगे।

अवकाश तथा छुट्टी।	18. वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाने वाली तिथि के प्रारम्भ से नियम 10 के उपनियम (2) में विहित उप वन राजिक, वन दरोगा तथा वन रक्षक प्रशिक्षण के लिए दस दिन की अवधि का मध्यावधि अवकाश होगा। अवकाश दिन प्रशिक्षणार्थी के छुट्टी खाते में जमा हो जाएंगे। सामान्यतः प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रशिक्षणार्थी को कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष मामलों में, अनुदेशक द्वारा वन विद्यालय से अनुपस्थिति का लघु अवकाश प्रदान किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, व्याख्यान तथा व्यावहारिक में 80 प्रतिशत उपस्थिति अन्तिम परीक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगी।
प्रशिक्षणार्थी भोजनालय।	19. सभी प्रशिक्षणार्थियों से सामान्य भोजनालय ज्वाइन करने की अपेक्षा की जाएगी, जो किसी सहायक अनुदेशक के पर्यवेक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्वाचित की जाने वाली भोजनालय समिति द्वारा प्रबन्धित होगा। भोजनालय का साजों-सामान संपूर्ण रूप से सहायक निदेशक के पर्यवेक्षणाधीन होगा, किन्तु भोजनालय का खर्च प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
अवकाश।	20. प्रशिक्षणार्थी, अनुदेशक द्वारा जब तक अन्यथा निर्देशित न हों, प्रशिक्षण के दौरान रविवार सहित सभी राजपत्रित अवकाश प्राप्त करने के अनुमत होंगे।
प्रगति रिपोर्ट।	21. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की प्रगति तथा आचरण की आवधिक रिपोर्ट अनुदेशक द्वारा बनाई जाएगी। रिपोर्ट में वन विद्यालय द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न टैस्टों तथा परिक्षाओं में प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्राप्त किए अंक भी दर्शाए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, अनुबन्ध-I के स्थान पर, निम्नलिखित अनुबन्ध प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-

“अनुबन्ध – 1क

फोरेस्टर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उप वन राजिक तथा वन दरोगा)

सिल्वीकल्चर तथा वन प्रबन्ध

क-थ्योरी

- 1.1 सामान्य अनुदेश : वानिकी, इसकी शाखायें, सिल्वीकल्चर, राष्ट्र हेतु वनों का महत्व।
- 1.2 स्थानीय कारक :
 - 1.2.1 जलवायु : तापक्रम, तापक्रम पेटी, पौधों की पाले से क्षति और सुरक्षात्मक उपाय, पाला शौर्य एवं पाल मृदु प्रजातियां, प्रकाश वाहक और छायाशील, प्रजातियां, वायु गति, यान्त्रिकी प्रभाव, नमी, रसने की क्रिया, मुरझाना बिन्दु पौधों के ढालने की प्रक्रिया, वर्षा एवं उसका वितरण, आर्द्रता, सूक्ष्म वातावरण प्रभावशाली कारण, उदाहरण।
 - 1.2.2 स्थान: प्राकृतिक दशा, ऊंचाई, आस्पैक्ट, ढाल, निकास-जल।
 - 1.2.3 भूमि: भू विज्ञान, भूमि पार्श्वदृश्य, भूमि निर्माण विधि, भूमि की मुख्य किस्में, समस्याग्रस्त भूमि का निपटारा, पी.एच.वैल्यू, भूमि की भौतिक विशेषतायें एवं उनका महत्व, भूमि नमी, भूमि से वायु की निकासी, मलधीग, भूमि सूचक, ह्यूमस, भूमि के पौष्टिक तत्व, सूक्ष्म जीवाणु, विभिन्न किस्म की भूमि हेतु उपयुक्त प्रजातियों, विभिन्न भूमि रचना हेतु उपयुक्त प्रजातियां, वृद्धि हेतु वांछित मुख्य तत्व, वृक्ष वृद्धि हेतु भूमि से वायु निकासी का महत्व, हरियाणा की भूमियां, लवणीय-क्षरीय भूमियां, पौधों की वृद्धि पर लवण का प्रभाव।
 - 1.2.4. बाईयोटिक कारक : अग्नि, चराई, विकास कार्यों पर विशेष बल सहित मानव तथा उसकी गतिविधियां।
- 1.3. वन फसलें उगाना :
 - 1.3.1. प्राकृतिक पुर्न-जनन : जहां वर्तमान स्थिति, कृत्रिम पुनर्जनन, पौधारोपण, ध्येय, औद्योगिक, पौधारोपण, इमारती लकड़ी, ईंधन और जीव-सौन्दर्य पर निर्भर हैं।
विभिन्न स्थानों के लिए प्रजातियों के नाम :-
 - 1.3.2 भूमि तथा जलवायु के संदर्भ में स्थान की उपयुक्तता :
 - (क) सर्वेक्षण एवं निशानदेहीय; क्षेत्रफल की गणना।
 - (ख) स्थान की सफाई, झाड़ियों तथा लम्बे घास को हटाना, मुढ़ियों को निकालना, कचरे का जलाना, वन की सफाई हेतु ट्रैक्टर का उपयोग।

- 1.3.3 स्टाक का स्रोत : बीज और पौधे, बीज स्रोत का महत्व, हरियाणा में महत्वपूर्ण प्रजातियों के बीज का संग्रहण, बीज के अच्छे तथा बुरे वर्ष, बीज का भण्डारण, वांछित बीज की मात्रा।
- 1.4. वन प्रभाव :
- 1.4.1 वन और जलवायु वायु, आर्द्रता, वाष्पीकरण, वर्षा।
- 1.4.2 वन तथा जल संरक्षण जल स्तर का प्राकृति उद्गम, बहाव।
- 1.4.3 वन तथा भूमि संरक्षण जल एवं वायु द्वारा भूमि का कटाव।
- 1.4.4 वन तथा वन्य प्राणी पर्यटन हेतु उनका मनोरंजन महत्व, इकोसीस्टम।
- 1.5 पौधा अनुक्रमः पौधा अनुक्रम के सामान्य विचार/अनुक्रम के स्तर, प्राथमिक एवं गौण अनुक्रम, विपरीत गमन, उदाहरण।
- 1.6 वृक्षों एवं फसलों की किस्म एवं वृद्धि :
- 1.6.1 वृक्षों आकृति-विज्ञान जड़ी-बूटी, झाड़ी, वृक्ष इत्यादि, पुष्पण पौधों के भागों की विज्ञान परिभाषा (जड़, तना, पत्ते, पुष्प समूह, फूल, फल, बीज)
- 1.6.2 वृक्ष वृद्धिः ऋतुजैविकी, बीज का आकार, बीज का बिखरना, अंकुरण तथा स्थापना, अंकुरित क्षमता, बीजा-रोपण की स्थापना तथा विकास।
- 1.6.3 फसल आकृति विज्ञान तथा वृद्धिः सम तथा विषम आयु वनों की वितानी श्रेणी, फसल की ऊंचाई, फसल का व्यास, मिश्रित एवं एक जातीय वन।
- 1.7 पौधों की स्वस्थ अवस्था के गुण धर्म की विद्या : पौधों की स्वस्थ अवस्था के गुण धर्म की विद्या : विचार, पौधों के पौष्टिक तत्व, केन्द्रित एवं रसीली लकड़ी, रसने की क्रिया, पौधों द्वारा पानी छोड़ने एवं भोजन बनाने की प्रक्रिया।
- 1.8 वन उपज का पुर्नजननः
- 1.8.1 पुर्नजननः प्राकृतिक तथा कृत्रिम पुर्नजनन।
- 1.8.2 कृत्रिमः पुनः पौधारोपण, पहली बार पौधारोपण, प्राकृतिक बनाम कृत्रिम पुर्नजनन, प्रजातियों का चुनाव, मिश्रित बनाम एकजातीय पौधारोपण, पौधारोपण क्षेत्र का उपचार, बीजाई बनाम पौधारोपण, पौधे से पौधे के बीच की दूरी।
- 1.8.3 बीजः एकत्रण, भण्डारण, उपचार, बीज का भार।
- 1.9 पौधशालाः परिभाषा, आवश्यकता, स्थान का चुनाव अस्थाई तथा स्थाई पौधशालायें, क्षेत्र की आवश्यकता, निशानदेही, रख-रखाव, कीमत-कारक, चीड़, खैर, शीशम, सफेदा, सिरस, कीकर, जड़ टोर्टलीस, फ्राश, पापलुर, काबली, कीकर, शहतूत, शाल का वर्णन और सजावटी पौधों का थोड़ा सा ज्ञान, माईकोराईजा, पौधशालाओं के विभिन्न रजिस्ट्रों का रख-रखाव।
- 1.10 पोषण कार्यः व्यर्थ पौध उखाड़ना, सफाई, छिछला करना, पातन सुधार, सुसम्य कार्य, छंगाई, बेलों की कटाई, मूढिअंकुरण छटाई।
- 1.11 सिंचित पौधारोपणः आवश्यकता, आकार, ले-आउट, जल की आवश्यकता, प्रजातियों का चुनाव, सिंचित तथा असिंचित ब्लाक पौधारोपण का तुलनात्मक अध्ययन।
- 1.12 पहली बार पौधारोपणः पुनः पौधारोपण, रेतीले टिब्बे, लवण/क्षारीय भूमियां, अरावली की पहाड़ियों, शिवालिक की पहाड़ियों, दलदलीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियों, पाले के लिए सख्त तथा नरम प्रजातियां, मुख्य सजावटी वृक्ष झाड़ियों एवं बेलें, पंचायत क्षेत्रों और सड़क के साथ पौधारोपण के लिए प्रजातियों का चुनाव एवं अन्य उपचार, खेत वानिकी तथा वृक्षविधि रोपण।
- 1.13 सिल्वीकल्चर विशेषताः चीड़, शाल, खैर, शीशम, जाड़ बबूल, टोर्टलीस, सफेदा, पापलर, नीम, सिरस, कीकर तथा बांस इत्यादि।

- 1.14 वन प्रबन्ध: परिभाषा, कार्ययोजना, कार्य वृत्त, कम्पार्टमेंट और उप कम्पार्टमेंट, सीमायें, सीमा स्तम्भ कूप खण्ड, पातन क्रम, रोटेशन उपज, वृद्धि, सामान्य वन, व्यास और लपेट श्रेणियां, स्थान योग्यता, पक्की उपज, सिल्वीकल्चर सिस्टम का सामान्य ज्ञान (पूर्ण कटाई, चुनाव कोपीस एवं एक समान प्रणाली), वाल्यूम टेबल और उपज टेबल।
- 1.15 प्रबन्ध: चीड़, शाल, खैर, बांस, शीशम, सफेदा, कीकर वन।
- 1.16 वन किस्म: वन श्रेणी विभाजन के आधार पर हरियाणा में पाई जाने वाले मुख्य किस्में/समूह, श्रेणी का आधार।
- 1.17 सामाजिक वानिकी:**
- 1.17.1 सामाजिक वानिकी की धारणा तथा सीमा।
- 1.17.2 सामाजिक वानिकी के अभ्यास तथा लाभ।
- 1.17.3 इसे जमीदारों में कैसे प्रचलित बनायें।
- 1.18. भू-दृश्य:**
- 1.18.1. भू-दृश्य इसकी धारणा, पर्यावरण के साथ सम्बन्ध।
- 1.18.2** लोक स्थानों, राष्ट्रीय मार्ग और पर्यटक स्थानों इत्यादि को कैसे सुन्दर बनायें
- ख. प्रायोगिक**
- 1.19 उपकरणों का प्रयोग कैलिपर, फीता, ऊंचाई मापने के उपकरण, उदाहरणतः उल्टीमीटर एवं ऐबीनोलेवल।
- 1.20 पोषण कार्य: रिंग गिनना, कटाई के लिए नम्बर लगाना, वृक्षों की गणना करना, सफाई, छिदला करना, पातन के सुधार।
- 1.21 पौधशाला कार्य: ले-आउट व्यर्थ के पौधे उखाड़ना एवं गुड़ाई (गोड़ी) बीजाई, पौधारोपण, पौधशाला के विभिन्न फार्म का रख-रखाव।
- 1.22 क्षेत्र वनस्पति: महत्वपूर्ण वन प्रजातियों की पहचान।
- 1.22 1. नमूने एकत्रित करना: कम से कम 25 वनस्पतियों के नमूने।
- 1.22 2. बीज एकत्रित करना: कम से कम 15 बीजों के नमूने।
- 1.23 वन सुरक्षा: अग्नि सुरक्षा उपाय।
- 1.24 पौधों के प्रबन्ध का अध्ययन: पत्तों की किस्में, फूल के विभिन्न भाग।

2. भूमि तथा जल संरक्षण

(क) थ्योरी

- 2.1 भूमि संरक्षण:** भूमि संरक्षण का तात्पर्य, भारत और हरियाणा में भूमि कटाव की सीमा, भूमि कटाव के दुष्परिणाम।
- 2.2 भूमि:** भूमि की परिभाषा, भूमि निर्माण, भूमि के भौतिक गुण, भारत की भूमियां, भूमि क्षमता की श्रेणियां, भूमि उपयोग हेतु योजना।
- 2.3 जल:** जल के उपयोग, जल की क्षतियां, रसने की प्रक्रिया, वाष्पीकरण, जलचक्र।
- 2.4 भूमि कटाव:** कटाव के प्रकार, कटाव के कारण, कटाव के कारण भूमि की क्षति।
- 2.5 भूमि संरक्षण पद्धतियां:** कृषि तथा वन भूमियों में संरक्षण की विभिन्न तकनीक, कटाव नियन्त्रण के जीव विज्ञान सम्बन्धी तथा यान्त्रिक ढंग।

2.6 वनों का भूमि एवं जल संरक्षण महत्व

2.6.1 लवण एवं क्षारीय भूमि, अरावली तथा शिवालिक श्रृंखला में नग्न पहाड़, दलदली क्षेत्र, मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में पौधारोपण की विशेष तकनीक।

2.7 वायु कटाव: वायु कार्य, वायु कटाव की समस्याएँ, रेत के ढिबों का स्थिरीकरण कार्य, वायु भंग और शरण पट्टी हेतु प्रजातियों का चुनाव एवं ले-आउट।

2.8 कटाव नियन्त्रण के यांत्रिक उपाय: बांध निर्माण, टरेसींग कन्टूर ट्रेनिंग, मल्लिक, अवरोधक बांध, ईट या पत्थर के बांध, गबियन ढांचे, वनस्पति बांध, बाढ़ नियन्त्रण।

2.9 नदी सिंधाना : नदी सिंधाने का अर्थ, नदी सिंधान के कार्य, भटकाव सपर, नाले का रास्ता बनाना।

2.10 रैंज प्रबन्ध : समस्याएँ, चरागाह विकास तथा उपयुक्त प्रजातियाँ।

2.11 शुष्क कृषि : शुष्क कृषि का अर्थ और इसके ध्येय।

(ख) प्रायोगिक

2.12 गली अवरोधक, अवरोधक बांध, कन्टूर बांध एवं ट्रेन्य।

2.13 नदी सिंधाने का कार्य।

2.14 टहनियों से गुंथा हुआ कार्य तथा बल्लिंग।

3. लट्ठा कार्य और उपयोग

(क) थ्योरी

3.1 लकड़ी का ढांचा : रसीली लकड़ी, केन्द्रित लकड़ी, पीथ, वार्षिक छल्ले तथा बनावट।

3.2 लकड़ी के गुण : भार, सख्तपन, लचीलापन (शुष्क होने की क्षमता) टिकाऊपन, गर्माने की क्षमता, रंग, दाने और गन्ध।

3.3 यांत्रिक कटाई तथा आधुनिक कटाई के औजार :

3.3.1 कटाई की परिभाषा: इतिहास, पुरानी कटाई की पद्धतियाँ, आधुनिक कटाई की पद्धतियाँ, कटाई का प्रशिक्षण, सुधरी कटाई की आवश्यकता।

3.3.2 कटाई के औजार एवं उपकरण बुनियादी कटाई के औजार, कटाई के उपकरण, पावर चैन आरा।

3.3.3 कटाई के औजार एवं उपकरणों का रख-रखाव: आरों एवं कुल्हाड़ों का रख-रखाव, आरों के रख-रखाव में सामान्य त्रुटियाँ, यान्त्रिक उपकरणों का रख-रखाव।

3.3.4 पातन और बदलाव: वृक्षों के पातन के सामान्य नियम, वृक्षों के पातन के ढंग, पातन का समय, पूर्ण कटाई, पातन वृक्षों का अभिलेख, ईमारती लकड़ी तथा ईंधन में परिवर्तन, गोल तथा चीरी हुई लकड़ी का वर्गीकरण, पैमाईश और घनफल की गणना।

3.3.5 ढुलाई: ढुलाई के सामान्य ढंग, ढुलाई के ढंगों का चुनाव।

3.3.6 वन उपज का भण्डारण: डिपों का वर्गीकरण, डिपों का प्रबन्ध।

3.3.7 निपटान तथा बिक्री: निष्कर्षण प्रणाली, बिक्री प्रणाली।

3.3.8 संगठन: मजदूरों का वर्गीकरण, मजदूरी पर्यवेक्षण।

3.3.9 आरे से चीराई: सामान्य वर्गीकरण, स्थापना, रख-रखाव।

3.4 लकड़ी के दोष:

3.4.1 असामान्य वृद्धि: गांठें, विकृत दाने, खुरदरा किनारा, आधार गांठ।

3.4.2 तन्तुओं के बिगाड़ के कारण दोष: तीव्र कम्पन, किनारा फटना, तल का फटना, टूट जाना, ऐंठन और गलना।

3.4.3 इमारती लकड़ी के दोष: विकृत दाने, खुरदरा किनारा, आधार गांठें, फलूटिंग ऐंठन एवं गलना।

3.4.4 जख्मों के कारण दोष: छंगाई, आग, पशुओं से क्षति, कीटाणुओं से क्षति, परजीवी क्षति।

- 3.5 ईमारती लकड़ी के दोष: परिभाषा, शुष्क करने के ढंग, भट्टे में शुष्क करना—विस्तार से, शुष्क करने में दोष।
- 3.6 ईमारती लकड़ी की परिरक्षण: परिरक्षण का महत्व, घुलनशील एवं अघुलनशील परिरक्षक उपचार के ढंग, स्लीपरो एवं बासों का उपचार, ईमारती लकड़ी का अग्नि अवरोधक कार्य।
- 3.7 उपयुक्त प्रजातियां: रेलगाड़ी के डिब्बे तथा स्लीपरो, भवन, खाने, खम्बे, नुकीले लट्टे और मकान के स्तम्भ, विद्युत एवं दूरभाष के खम्बे, किस्तियां एवं डगआऊटस, तार, फर्नीचर बनाना, गाड़ियों के भाग, औजारों के दस्ते, बक्से और पैकिंग करने के बक्से, प्लाईवुड, दियासलाईयों का उद्योग, कागज पल्प उद्योग, खेलों का सामान, बांबिन, कंघी, पैसिलें, चलने में सहायक छड़ियां, छतरियों के दस्ते, तम्बुओं के डण्डे, खुटिया, गणित के उपकरण, जलाने की लकड़ी इत्यादि।
- 3.8 संक्षिप्त में सामान्य विचार: प्लाईवुड हार्ड बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, लुगदी एवं रेयन।
- 3.9 लघु वन उपज: रेशे तथा महीन रेशम के समान तन्तु, बांस, घासें, तिलहन, टेंन तथा रंगने के रसायन, गोंद, राल, कत्था, आवश्यक तेल एवं दवाईयों वाले पौधे, खाद्य पदार्थ।
- 3.10 महत्वपूर्ण वन उद्योग: (i) कत्था निर्माण,
(ii) राल कार्य
(iii) रेलगाड़ियों के स्लीपर, मानक आकार, विशेषतायें, प्रजातियां तथा लकड़ी का कोयला।
- 3.11 संक्षिप्त में लट्टे तथा स्लीपरो के वर्गीकरण के नियम
(ख) प्रायोगिक
- 3.12 भवन निर्माण के लिए ईमारती लकड़ी की पहचान: शीशम, आम, तुन्न, खैर, शहतूत, चीड़, देवदार, सागवान, शाल, कैल, कीकर, सफेदा और पापुलर
- 3.13 ईमारती लकड़ी का वर्गीकरण और चीरी हुई लकड़ी, लट्टे और बास की स्वीकृति।
- 3.14 वृक्षों को कुल्हाड़े एवं आरे द्वारा पातन की पद्धति, जिसमें डाल कटाई तथा बदलाव भी शामिल है।
- 3.15 चीरी तथा गोल ईमारती लकड़ी की पैमाईश, धनफल की गणना, चीरी एवं गोल ईमारती लकड़ी के गट्टे लगाना।
- 3.16 कागज, राल, कत्था, प्लाईवुड एवं दियासलाई के कारखानों, चारकोल की भट्टियों और चूने की भट्टियों का दौरा करना।
- 3.17 राल निकालने में प्रशिक्षण।
- 3.18 पातन रजिस्टर, डिपों रजिस्टर इत्यादि का रख-रखाव।

4. वन इन्जिनियरिंग

(क) थ्योरी

- 4.1 भवन निर्माण सामग्री: पत्थर, चट्टानों का वर्गीकरण, भवन निर्माण हेतु अच्छे पत्थर की आवश्यकता, पत्थरों का उत्खनन, ईंटों का वर्गीकरण, ईंटों का आकार, अग्नि ईंट, टाईलें, चूना, वर्गीकरण, सीमेन्ट भण्डारण, पोर्टलैण्ड सीमेन्ट के गुण, भण्डारण तथा उपयोग, सुरखी सीमेन्ट कंकरीट, प्रबलीकरण का वर्गीकरण एवं उपयोग।
- 4.2 भवन (i) स्थान का चुनाव तथा तैयारी, तल का चुनाव और इसकी तैयारी, नींव की चौड़ाई तथा गहराई।
(ii) कंकरीट तलों की मोटाई, दीमक के विरुद्ध तैयारी, नमी अवरोधक।
(iii) दिवारों की मोटाई, मचान, बौण्ड, दरवाजें, खिड़कियां तथा फर्श।
(iv) छतों की किस्में, ट्रेस वाली छतें (राजा खम्बा तथा रानी खम्बा)
(v) पलस्तर, गारा, चूना, सीमेन्ट, रंग रोगन।
(vi) सफेदी, रंग, रंग-रोगन।

4.3 सड़कें:

- 4.3.1 परिचय: वन सड़कों का भाग, ढाल, ईट, पक्का करने का कार्य।
- 4.3.2 वन सड़कें: एलाइनमेंट, सर्वेक्षण, मैदानों में सड़क की एलाइनमेंट, प्राथमिक सर्वेक्षण, आवश्यक बिन्दु तथा विभिन्न सड़कों हेतु ढलान।
- 4.3.3 सड़क का डिजाईन: बर्म सहित सड़क की चौड़ाई, कैम्बर, देशांतरीय तथा अनुप्रस्थ-काट अनुमान, पुश्ता तथा ब्रेस्ट दिवारें, क्रास नालियां, साईड नालियां।
- 4.3.4 सड़कों का रख-रखाव: धरातल का रख-रखाव, विद्यमान सड़कों का सुधार।
- 4.4 पुल/पुलियां: महत्वपूर्ण किस्मों के पुल तथा पुलियों का सामान्य वर्णन।
- 4.5 जल आपूर्ति: आपूर्ति का सामान्य स्रोत/जल-स्तर, कुएं लगाना, उधेल तथा गहरे कुएं, जल का शोधन, कुओं की सफाई और सुरक्षा।
- 4.6 रेखांकन: प्लान, एलिवेशन तथा क्रास सैक्शन, रेंज क्वार्टर, फोरेस्टर क्वार्टर तथा वन रक्षक क्वार्टर के अनुमान तैयार करना।

ख. प्रायोगिक

- 4.7 'चट्टानों के नमूने इकट्ठा करना
- 4.8 भवन की ले-आऊट
- 4.9 योजनाओं का अध्ययन
- 4.10 रास्तों एवं सड़कों की एलाइनमेंट
- 4.11 सामान्य इन्जिनियरिंग की गणनाएं

5. सर्वेक्षण एवं मानचित्र पाठन**(क) थ्योरी**

- 5.1 परिचय: सर्वेक्षण की परिभाषा, वन सर्वेक्षण का ध्येय एवं सीमा।
- 5.2 पैमाना: पैमाना, प्रतिनिधि भिन्न तथा विकर्ण पैमाना, पैमाना निर्माण।
- 5.3 दूरी की नाप: दूरियां नापने के उपकरण, चेन तथा फीते के लाभ और हानियां, रेंजिंग और सर्वे लाईन का चेन से मापना, ढलानदार मैदान की पैमाईश, चेन से मापने में त्रुटियां।
- 5.4 चेन सर्वेक्षण: चेन सर्वेक्षण की सीमा, क्रास स्टाफ एवं ओपटीकल स्केयर का उपयोग, चेन से मापते हुए बाधाओं की साधारण समस्याएं।
- 5.5 प्रिजमैटीक कम्पास सर्वेक्षण: कम्पास की रचना, कम्पास के उपयोग के ढंग, कम्पास बियरिंग से कोण की पैमाईश, बियरिंग की साधारण गणना।
- 5.6 प्लेन टेबल सर्वेक्षण: प्लेन टेबल, प्लेन टेबल की सामग्री, किसी स्थान पर प्लेन टेबल स्थापित करना, प्लेन टेबल करने के ढंग, इसकी सीमा और लाभ।
- 5.7 क्षेत्रफल की गणना: एकड़ कम्ब और एकड़ वर्ग का प्रयोग, समलम्बीय नियम द्वारा फील्ड नोट बुक से क्षेत्रफल की गणना।
- 5.8 मानचित्र एवं उनको पढ़ना: मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र का प्लान, मानचित्र का पैमाना, प्रतीक चिन्ह, मानचित्र की दिशा, वानिकी में मानचित्रों का महत्व, मानचित्र पर रिलिफ का दर्शाना, कन्टूर, महत्वपूर्ण रिलिफ लक्षण।

ख. प्रायोगिक

- 5.9 चेन सर्वेक्षण: चेन तथा फीते का प्रयोग, रेंजिंग एवं सर्वेक्षण लाईल का चेन से मापना, फिल्ड कार्य, चेन सर्वेक्षण को आलेखन पत्र पर दर्शाना।
- 5.10 चेन एवं कम्पास सर्वेक्षण: क्षेत्र को आलेखन पत्र पर दर्शाना तथा रेखांकन।
- 5.11 प्लेन टेबल सर्वेक्षण: फिल्ड कार्य आलेखन पत्र पर दर्शाना एवं रेखांकन।
- 5.12 वन सर्वेक्षण में सहायक/समस्याएं: कूप की निशान देही, अग्नि से जले क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, सीमा स्तम्भों को पुनः स्थापित करना, समकोण कन्टूर खाईयां तथा बांध का ले-आऊट करना।

5.13 मानचित्र पाठन : भण्डार का पाठन, नक्शे तथा सर्वेसीटों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण।

6. रेंज खाता तथा प्रक्रिया

- 6.1** वन आय तथा व्यय की विभिन्न अपवर्तक, लघु तथा उपशीर्ष सहित वर्गीकरण।
- 6.2** रेंज खाता (प्रेक्टिकल अभ्यास) रोकड़ बही खाता को लिखना, खाता बन्द करना तथा शेष निकालना फार्म संख्या 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 का रख रखाव, वाउचर लिखना, मस्ट्रोल तथा दैनिक शीट भरना, वेतन बिल तथा अन्य बिल लिखना, यात्रा भत्ता बिल तैयार करना, छुट्टियाँ और छुट्टियों का खाता बनाना।
- 6.3** बजट नियन्त्रण, मासिक लेखा पर आपत्ति सारणी।
- 6.4** दैनिक भत्ता, भविष्य निधि खाता उपस्थित होने का समय, यात्रा, ए.पी.ओ. खजाने का चालान, क्षति रिपोर्ट पुस्तिका, क्षतिपूर्वक फार्म पुस्तिका, क्षतिपूर्वक प्राप्ति पुस्तिका तथा क्षतिपूर्वक तथा अभियोजन रजिस्टर, विभिन्न फार्मों का योजक।
- 6.5** वन रक्षक, फौरेस्टर, उप वन राजिक तथा रेंज अधिकारियों के कर्तव्य।

7. वन कानून

- 7.1** विशेष वन कानून की आवश्यकता।
- 7.2** भारतीय वन अधिनियम, 1927, (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16), पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का केन्द्रीय अधिनियम 1), वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53), पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम 2) का अध्ययन, जहाँ यह सामान्य सुरक्षा कर्तव्यों के लिए वांछित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम 69) स्थाई आदेश संख्या 28
- 7.3** वन अपराध, क्षति रिपोर्ट, अपराधों की सम्मिश्रण का विस्तार में विवरण (मुख्य वन संरक्षण के स्थाई आदेशानुसार)
- 7.4** कानूनी अदालत में अभियोजन हेतु विस्तार पूर्वक ढंग।
- 7.5** गवाही के अभिलेख, खोज करने की शक्ति, गिरफ्तारी, क्षति-पूर्ति, अभियोजन तथा अदायगी ईनाम इत्यादि के सम्बन्ध में वन अधिकारी की शक्तियाँ।

8. पर्यावरण संरक्षण तथा वन सुरक्षा

- 8.1 पर्यावरण** परिचय, वायुमण्डल, आक्सीजन का चक्र, कार्बन का चक्र, नाइट्रोजन का चक्र, इकलोजिकल खाने, जीवमण्डल प्राकृतिक वास।
- 8.2 प्रदूषण** परिचय, जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण।
- 8.3 वन सुरक्षा**
- 8.3.1 परिचय** परिभाषा, वन सुरक्षा का महत्व, वनों की क्षति के प्रति भावुकता।
- 8.3.2 मानव एवं अग्नि द्वारा नुकसान:** वन अपराधों पर नियन्त्रण एवं दोषपूर्ण प्रबन्ध, वन अग्नि, अग्नि की किस्में, अग्नि से क्षति, लाभ, अग्नि से सुरक्षा, सुरक्षात्मक उपाय, बाह्य तथा आन्तरिक अग्नि पंक्तियाँ, मुकाबले के उपाय, अग्नि शमन हेतु उपाय, उपचारात्मक पेमना, ज्वलन पर नियंत्रण।
- 8.3.3 पशुओं द्वारा नुकसान:** चराई एवं चराई की किस्में, पशुओं तथा जीव जन्तुओं, छोटे कृतक, कीटाणुओं, पशुओं, जंगली पशुओं एवं कृतकों से सुरक्षा।
- 8.3.4 पौधे के शत्रुओं से सुरक्षा:** वीडस, परजीवी, फुफुन्दी।
- 8.3.5 प्रतिकूल जलवायु कारक:** पाला, वन नश्वरता के कारण, पाले, पवन सूखा, बर्फ, ओले, कारखानों का धुंआ, बाढ़, चलते रेत के कारण होने वाले नुकसान पर नियन्त्रण।

9. वन्य जीव प्रबन्ध

(क) थ्योरी

- 9.1** वन्य जीव की परिभाषा, सीमा, महत्व, लाभ एवं राज्य में वन्य जीवों का फैलाव।
- 9.2** वन्य जीव की आदतों का अध्ययन कैसे करें, रास्ते, चिन्ह, मारने के प्रमाण, गणना, आयु तथा लिंग भेद, क्षेत्रीय परिक्षण का अभिलेख एवं उनकी व्याख्या, आधुनिक ढंग।

- 9.3 वन्य जीवों की पारिस्थितिकी, वन्य जीवों के समूह, मुकाबला, प्रीडेशन एवं पारिस्थितिक ताक (केवल साधारण व्याख्या), बुरा समय विशेषतः राज्य के वन्य जीवों के संदर्भ सहित।
- 9.4 वन्य जीवों की जनसंख्या, प्रदेश, घर, रेंज इत्यादि की धारणा, जंगली जानवरों की गणना की आवश्यकता, गणना के महत्वपूर्ण ढंग।
- 9.5 सीमित करने वाले कारक, समाप्ति कारक, कल्याण कारक, वातावरण विरोध, राज्य के जन्तुओं को सीमित तथा समाप्त करने वाले कारक, शिकार, हैबीटेट का ह्रास एवं वन क्षेत्र की कमी।
- 9.6 वानिकी एवं वन्य जीव के प्रबन्ध हेतु अभ्यासों में समन्वयन।
- 9.7 आश्रय स्थल, राष्ट्रीय पार्क एवं बन्द क्षेत्र। साधारणतः परिभाषित धारणाएँ। राज्य के आश्रय स्थल, राष्ट्रीय पार्क एवं बन्द क्षेत्र, और उनका प्रशासन। राज्य के आश्रय स्थल, राष्ट्रीय पार्क तथा बन्द क्षेत्र के प्रबन्धन में समस्याएँ।
- 9.8 चिड़िया घर तथा पशु पार्क, उनका महत्व तथा प्रबन्ध।
- 9.9 राज्य के वन प्राणी, अपराध होने पर की गई कार्यवाही।
- 9.10 औजारों, शिकार पिंजरों, जालों एवं जाल तथा अन्य उपकरणों का परिचय।

(ख) प्रैक्टिकल

- 9.11 आश्रय स्थलों/राष्ट्रीय पार्कों का भ्रमण—
- (क) मार्गों तथा चिन्हों का अभिलेख, पशुओं को ढुंढने हेतु मार्गों या चिन्हों का अभिलेखन।
- (ख) खेल देखना।
- (ग) पक्षी देखने के बारे में परिचय तथा पक्षी भ्रमण देखना।
- (घ) गिनने के चिन्हों जैसा कि पशु का पदचिह्न, निशान, गोली समूह, इत्यादि द्वारा जानवरों की गणना।
- 9.12 आश्रय स्थल अधिकारी द्वारा दिखाए गए आश्रय स्थल/राष्ट्रीय पार्क के प्रबन्ध पर भाषण।
- 9.13 (क) महत्वपूर्ण पशुओं एवं पक्षियों के प्राकृतिक वास का अध्ययन।
- (ख) क्षेत्र में देखे गए वन्य जीवों तथा पक्षियों की सूची तैयार करना।
- 9.14 चिड़िया घर का भ्रमण।
- निम्नलिखित अध्ययन किए जायेंगे:—
- (i) चिड़िया घर में देखे गए पशुओं, पक्षियों तथा रेंगने वाले जानवरों की सूची।
- (ii) कुछ महत्वपूर्ण पशुओं विशेषतः अदभुत तथा जिन जातियों का लुप्त होने का डर है, उनका प्रजनन।

टिप्पण.— वन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किए गए सभी तकनीकी टिप्पण भी पाठ्यक्रम में शामिल हैं।

वन दरोगा प्रशिक्षण के लिए अंकों की अनुसूची							
क्रमांक	परीक्षा का नाम	लिखित पेपर		प्रैक्टिकल	नम्बर	कुल नम्बर	विशेष कथन
		समय	नम्बर	ब्यौरा			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वन—वर्धन एवं वन प्रबन्ध	3 घण्टे	100	विरलन (थिनींग)(20) ऊँचाई एवं व्यास मापना (10) बीज संग्रह(10) वनस्पति नमूने(10)	50	150	वन संरक्षण
2.	भूमि एवं जल संरक्षण	3 घण्टे	75	फील्ड में संरक्षण तकनीक का उपयोग	25	100	वन संरक्षण

3.	पातन एवं उपयोग	3 घण्टे	60	नोटबुक	20	80	वन संरक्षक द्वारा वन मण्डल अधिकारी काष्ठ निष्कर्षण को मनोनीत किया जायेगा।
4.	वन इंजीनियर	3 घण्टे	50	रेखांकन शीट साधारण प्लान का पाठन, प्लान का अनुमान, सड़क तथा पथ की अलॉइनमेंट, प्लान से भवन का नक्शा	30	80	वन मण्डल अधिकारी
5.	सर्वेक्षण एवं मानचित्र पाठन	2 घण्टे	30			50	अनुदेशक
6.	रेंज लेखा	3 घण्टे	50	क्षेत्रीय निरीक्षण	25	75	उप मुख्य वन संरक्षक
7.	वन कानून	3 घण्टे	50			50	अनुदेशक
8.	पर्यावरण संरक्षण एवं वन सुरक्षा	2 घण्टे	40			40	वन संरक्षक
9.	वन जीव प्रबन्ध	3 घण्टे	50	क्षेत्रीय निरीक्षण	25	75	उप मुख्य वन्य जीव वार्डन
10.	मध्यावधि परीक्षा		50			50	अनुदेशक
11.	दौरा परीक्षा	—	30	दौरा जर्नल	10	55	अनुदेशक
				फील्ड वनस्पति	15		
12.	मौखिक	—	100	—	.	100	बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से
13.	शारीरिक प्रशिक्षण एवं खेल	—	20	—	.	20	प्रभारी शारीरिक प्रशिक्षण एवं खेल
14.	मैराथन दौड़ (10 कि.मी.)	—	20	—	.	20	प्रभारी शारीरिक प्रशिक्षण एवं खेल
15.	आचरण नम्बर	—	50	—	.	50	वन मण्डल अधिकारी, अनुदेशक तथा सहायक अनुदेशक
कुल						1000	

अनुबन्ध I (ख)

वन दरोगा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (पदोन्नति द्वारा नियुक्त उप वन राजिक तथा वन दरोगा)

1. वन-वर्धन एवं वन प्रबन्ध

अ. थ्योरी

1.1 नवीन वृक्षारोपण:

परिभाषा एवं विस्तार प्राकृतिक बनाम कृत्रिम पुर्नजनन, प्रजातियों का चुनाव, मिश्रित बनाम पौधारोपण क्षेत्र का शुद्ध बागान उपचार, बीजाई बनाम पौधारोपण, पौधे से पौधे की दूरी।

- 1.2 पौधशाला: आवश्यकता, स्थान का चुनाव, अस्थाई एवं स्थाई पौधशालाएं, क्षेत्र की आवश्यकता, निशानदेही, रख-रखाव, कीमत कारक, चीड़, खैर, शीशम, सफेदा, सीरस, कीकर, जण्ड, अकेशिया टोरटलिस, प्लाश, पोपलर, शहतूत, शाल तथा सजावटी पौधों का कुछ ज्ञान, माईक्रोराइज़ा, पौधशाला के विभिन्न रजिस्ट्रों का रख-रखाव।
- 1.3 परिपालन कार्य निराई, सफाई, विरलन, गिराना सुधार, सांस्कृतिक कार्य, छँटाई, बेलों की कटाई, झाड़ी विरलन।
- 1.4 प्रजाति चयन एवं वनरोपण पद्धति: शुष्क, अर्धशुष्क, क्षारिय मृदाओं में प्रजातियों का चयन, लवण तथा क्षारिय मृदाओं, अरावली तथा शिवालिक क्षेत्रों की पहाड़ियों, जल ग्रहण क्षेत्रों, शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों, रेतीले टिब्बों का स्थायीकरण में पौधारोपण तकनीक, वायु भंग तथा शरण पट्टी का नक्शा।
- 1.5 हरियाणा में वृक्ष सुधार: बीज एकत्रीकरण एवं भण्डारण, उम्मीदवार जमा वृक्ष (सी.पी.टी.), उम्मीदवार जमा वृक्ष (सी.पी.टी.) का चयन, बीज की विशेषता, बीज उत्पादन क्षेत्र, कृतक, कृतक गुणन क्षेत्र, टिशू कल्चर, मुकुलन तथा रोपण।
- 1.6 पौधों का क्रिया विज्ञान: पौधों का क्रिया विज्ञान के सामान्य विचार, पोषक तत्व, अंतः काष्ठ एवं रसकाष्ठ, रसने की क्रिया, पारदर्शिता, प्रकाश-संश्लेषण की संक्षिप्त धारण।
- 1.7 परागणकर्ताओं की भूमिका: वन पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं की भूमिका।
- 1.8 कार्य योजना: वन कार्य योजना बनाना।

ख. प्रायोगिक

- 1.9 आधुनिक नर्सरी का भ्रमण एवं समस्यायुक्त मृदाओं में पौधारोपण।

2. मृदा एवं जल संरक्षण

क. थ्योरी

- 2.1 मृदा संरक्षण: अर्थ, भारत तथा हरियाणा में मृदा क्षरण की मात्रा।
- 2.2 मृदा: हरियाणा में मृदा की किस्में, समस्यात्मक मृदा, उनके प्रकार।
- 2.3 क्षरण: प्रकार एवं इसके कारण, कटाव के कारण मृदा की क्षति।
- 2.4 भूमि संरक्षण पद्धतियां: कृषि तथा वन भूमियों में संरक्षण के विभिन्न विभिन्न ढंग, जैविक एवं यांत्रिक ढंग से कटाव नियंत्रण।
- 2.5 वायु-कटाव: रेत के टिब्बों का स्थिरीकरण कार्य, प्रजाति चयन।
- 2.6 कटाव नियंत्रण के यांत्रिक उपाय: बांध निर्माण, टेरेसिंग, कंटूर ट्रेंचिंग, मल्विंग, अवरोधक बांध, ईट या पत्थर के बांध।
- 2.7 नदी सिंधाना: नदी सिंधाने की प्रजातियां, नाले नदियों का प्रणालन का रास्ता बनाना।
- 2.8 शुष्क कृषि: शुष्क कृषि का अर्थ एवं इसके उद्देश्य।

3. वन उपयोग

क. थ्योरी

- 3.1 लघु वन उपज: परिभाषा, महत्व, मास, गोंद, शहद, घास, खस, पत्ते, गंध सफेदे का तेल, रेशम, फल, कृत्रिम गोंद, कथ्था।
- 3.2 औषधीय पौधे: औषधीय पौधों का संरक्षण एवं उगाना, आवश्यक औषधीय प्रजातियां, जड़ी-बूटियों के महत्वपूर्ण भाग, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, राज्य औषधीय पादप बोर्ड।
- 3.3 वन आधारित उद्योग: परिभाषा, नियम तथा विनियम, वन आधारित उद्योगों एवं आरा मशीनों को लाइसेंस जारी करना, काष्ठ शुष्कता (संशोधन), पृष्ठावरण परत तथा प्लाईवुड, मिश्रित काष्ठ, विभिन्न प्रकार के बोर्ड, काष्ठ पालिश तथा पेंट।
- 3.4 कटाई के औजार एवं उपकरण: यांत्रिक कटाई एवं आधुनिक कटाई के औजार।
- 3.5 पातन एवं रूपांतरण: पातन वृक्षों का अभिलेख, विभागीय टिम्बर फार्म, मापन एवं घनफल की गणना।

4. सर्वेक्षण एवं अभियांत्रिकी

क. थ्योरी

- 4.1 परिचय: वन सर्वेक्षण की परिभाषा, उद्देश्य तथा विषय।
- 4.2 मापनी: मापनी, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, नक्शा तथा विकर्ण मापनी, निर्माण मापनी।
- 4.3 सर्वेक्षण के प्रकार: दूरी की पैमाइश प्रिज्मी कम्पास सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वेक्षण, श्रृंखला सर्वेक्षण (संक्षेप में)।
- 4.4 क्षेत्रफल की गणना: एकड़ कॉम्ब तथा एकड़ वर्ग का प्रयोग, समलंबी नियम द्वारा नोटबुक प्रप्ति से क्षेत्रफल की गणना।
- 4.5 मानचित्र तथा उनको पढ़ना: परिभाषा, मानचित्र का नक्शा, मानचित्र का पैमाना, प्रतीक चिन्ह, मानचित्र की दिशा, वानिकी में मानचित्रों का महत्व, मानचित्र पर राहत का अभ्यावेदन, रूपरेखा, महत्वपूर्ण राहत लक्षण।
- 4.6 भूमंडलीय अवस्थिति प्रणाली: इसका प्रयोग, क्षेत्रफल की गणना, देशांतर, अक्षांश दूरसंवेदी का उपयोग, वानिकी में सामान्य बीमा स्कीम का प्रयोग।
- 4.7 भवन निर्माण सामग्री: चट्टानों का वर्गीकरण भवन निर्माण हेतु अच्छे पत्थर की गुणवत्ताएं, ईंट का वर्गीकरण तथा आकार, अग्नि ईंटे, चूना, सीमेंट, सीमेंट का भण्डारण, अच्छी सीमेंट के गुण, भण्डारण एवं उपयोग, सीमेंट कंकरीट, सुदृढीकरण।
- 4.8 भवन: (i) स्थान का चुनाव तथा तैयारी, नींव, नींव का चुनाव तल की तैयारी, नींव की चौड़ाई तथा गहराई।
(ii) कंकरीट तलों की मोटाई, दीमक के विरुद्ध तैयारी।
(iii) नमी अवरोधक।
(iv) दीवारों की मोटाई, मचान, बॉण्ड, दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, छत के प्रकार।
(v) पलस्तर, सफेदी।
- 4.9 सड़कें, पुल, पुलिया: संक्षेप में परिचय।

ख. प्रायोगिक

- 4.10 चैन सर्वेक्षण।
 4.11 प्लेन टेबल सर्वेक्षण।
 4.12 चैन एवं कम्पास सर्वेक्षण।
 4.13 किसी क्षेत्र की स्थिति एवं सीमांकन की गणना करना।
 4.14 मानचित्र पाठन।
 4.15 भवन का नक्शा।
 4.16 रास्तों एवं सड़कों की अलॉइनमेंट।

5. लेखा तथा प्रक्रिया**क. थ्योरी**

- 5.1 वन राजस्व एवम् खर्च वन राजस्व एवम् खर्च का विभिन्न अपवर्तक, लघु तथा उप शीर्ष सहित वर्गीकरण।
 5.2 रेंज खाता (प्रायोगिक अभ्यास) रोकड़-बही खाता लिखना, लेखा बन्द करना तथा शेष निकालना, फार्म संख्या 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 तथा 17 का रख-रखाव करना, वाउचर लिखना, यात्रा भत्ता बिल बनाना, अवकाश तथा अवकाश लेखा।
 5.3 क्षति रिपोर्टों का रख-रखाव करना खजाना चालान, क्षति रिपोर्ट बुक, मुआवजा फार्म बुक, मुआवजा रसीद बुक, मुआवजा तथा अभियोजन रजिस्टर बनाना, विभिन्न फार्मों का मिलान करना इत्यादि।
 5.4 विविध दैनिक भत्ता, सामान्य भविष्य निधि, उपस्थित होने का समय, वार्षिक कार्य योजना।

6. वन में नीतिगत तथा वैधानिक मामले**क. थ्योरी**

- 6.1 वन नीति 1894,1952,1988, की वन नीतियां, प्रभाव के पश्चात् नीति के पालन में प्रतिबंध, राज्य वानिकी एक्शन प्लान।
 6.2 वन अधिनियम भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 27), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम 69) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53), पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम 2) अन्य संबंधित अधिनियमों के संबंधित उपबन्धों के सक्षिप्त अवलोकन।
 6.3 वन अपराध अपराधों की मिश्रता, अभियोजना की प्रक्रिया तथा वन अधिकारी की शक्तियां।
 6.4 विविध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम 14) तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22)

7. पर्यावरण संरक्षण तथा वन सुरक्षा**क. थ्योरी**

- 7.1 वनों को क्षति आग, पशुओं, खरपतवार, परजीवी, फफुन्दी, बीमारी, कीटों, प्रतिकूल जलवायु कारकों तथा अवैध कटान द्वारा नुकसान।
 7.2 क्षति नियंत्रण सामान्यतः प्रयोग किये जाने वाले कीटनाशक शाकनाशी तथा फफूंदनाशी।

7.3	वन अग्नि तथा आपदा प्रबन्धन	संक्षेप में विवरण।
7.4	पर्यावरण	परिचय, वायुमण्डल, आक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, पारिस्थितिक आला, जीवमंडल, आवास स्थल।
7.5	प्रदूषण	परिचय, जल, वायु तथा भूमि प्रदूषण।
7.6	जैव विविधता संरक्षण	जैव विविधता संरक्षण का परिचय, जलवायु परिवर्तन।

8- वन्य जीव प्रबन्धन

क. थ्योरी

8.1	परिचय	आवास परिस्थियां, आवास प्रबन्धन तथा खाद्य श्रृंखला।
8.2	वन्यजीव अपराध	अपराध के प्रकार, जांच, पूछताछ विधियां तथा अभियोजन।
8.3	चिड़िया घर प्रबन्ध	चिड़िया घरों का प्रबन्धन, क्षेत्र की रिकाडिंग का प्रेक्षण।
8.4	अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क	हरियाणा राज्य में स्थित अभ्यारण्यो तथा राष्ट्रीय पार्कों का संक्षिप्त परिचय।
8.5	प्रबंधन योजना	भारत सरकार के नवीनतम निर्देश अनुसार वन्य जीव प्रबन्धन योजना तैयार करना।
8.6	विविध	वन्य प्राणी गणना तकनीकी, बन्द क्षेत्रों बारे विचार। ख. प्रायोगिक
8.7	हरियाणा तथा पड़ोसी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानो तथा अभ्यारण्यो का भ्रमण।	

9- संयुक्त वन प्रबन्ध

क. थ्योरी

9.1	परिचय	भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुसार संयुक्त वन प्रबन्ध।
9.2	वन विकास एजेंसी तथा ग्राम वन समिति	कृषि, बागवानी तथा पशु पालन के सम्बन्ध में वन विकास एजेंसी तथा ग्राम वन समितियों का गठन, स्थानीय जन की वन सुरक्षा में भागीदारी, ग्रामिणों के सहयोग से गांवों में पौधारोपण, कृषि वानिकी मॉडल, संयुक्त वन प्रबन्ध में वन विभाग की भूमिका।
9.3	लघु स्तरीय योजना तथा स्वयं सहायता समूह	लघु स्तरीय योजना, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी तथा स्वयं सहायता समूहों का गठन, महिला सशक्तिकरण।
9.4	विविध	वानिकी सम्बन्धी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, ईंधन, चारा, फल, आहार तथा लघु काष्ठ की मांग तथा आपूर्ति में अन्तर की सीमा।

ख. प्रायोगिक

9.5	एक संयुक्त वन प्रबन्ध — ग्राम का भ्रमण अध्ययन करना तथा लघु योजना का तैयार करना, प्रवेश बिन्दु गतिविधियां, स्वयं सहायता समूहों तथा आय वृद्धि गतिविधियों का अध्ययन।
9.6	लघु योजना जानकारी का प्रमाणन।

10- कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन का मूलभूत पाठ्यक्रम

क. थ्योरी

10.1	परिचय	संक्षिप्त इतिहास, हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा आपरेटिंग सिस्टम।
10.2	एम एस वर्ड	एडिट, सेव, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, ब्लॉक, मेल मर्ज, स्पेलचैक, थीसारस
10.3	एम एस एक्सल	स्प्रेडशीट, मेनू, ग्राफ, गणना, प्रिन्टिंग, कॉपी, एडिट, पेस्ट।

10.4 इन्टरनेट ईंमेल तथा इन्टरनेट, ईंमेल भेजना, रिसीव करना, ईंमेल कम्पोज करना।

10.5 वानिकी में कम्प्यूटर का उपयोग डाटा प्रबन्धन, ग्राफ के द्वारा दर्शाना।

ख. प्रायोगिक

10.6 कम्प्यूटर लैब में उपरोक्त वर्णित विषयों पर प्रेक्टीकल करना।

11- ईकोटूरिज्म

क. थ्योरी

11.1 परिचय प्रत्यय, परिभाषा, नीति एवं निर्देश, ईकोटूरिज्म का प्रभाव।

11.2 विविध स्थिरता, सतत ढांचा तथा योजना मनोरंजन वानिकी, एकीकृत नगर योजना तथा भू-निर्माण, पार्क हरित क्षेत्रों का ले-आउट एवं डिजाईन, हरित क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों के नजदीक हरित पट्टियां।

ख. प्रायोगिक

11.3 अध्ययन मामला—थापली प्रकृति कैम्प तथा पड़ोसी राज्यों के ईकोटूरिज्म क्षेत्रों का भ्रमण।

वन दरोगा प्रशिक्षण के लिए अंकों की सूची (पदोन्नत)							
क्रमांक	परीक्षा का नाम	लिखित पत्र		प्राैक्टिकल	नम्बर	कुल नम्बर	विशेष कथन
		समय	नम्बर	ब्यौरा			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अन्तिम परीक्षा (पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए)	3 घण्टे	100	.	.	100	परीक्षा बोर्ड (वन संरक्षक, वन मण्डल अधिकारी तथा अनुदेशक)
2.	दौरा परीक्षा	.	50	दौरा जर्नल	30	100	अनुदेशक
				फील्ड वनस्पति	20		
3.	मौखिक	.	100	.	.	100	बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से
4.	शारीरिक प्रशिक्षण एवं खेल।	.	20	.	.	20	प्रभारी शारीरिक प्रशिक्षण तथा खेलें
5.	मैराथन दौड़ (10 कि.मी.)	.	20	.	.	20	प्रभारी शारीरिक प्रशिक्षण तथा खेलें
6.	आचरण नम्बर	.	60	.	.	60	वन मण्डल अधिकारी, अनुदेशक तथा सह-अनुदेशक
कुल						400	

डॉ० जी० अनुपमा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**FOREST DEPARTMENT****Notification**

The 2nd July, 2021

No. GSR. 12/Const./Art./309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Forest Executive Section (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Forest Executive Section (Group C) Service (Amendment) Rules, 2021.
2. In the Haryana State Forest Executive Section (Group C) Service Rules, 1998, (hereinafter called the said rules), for Rule 2 in Sub-rule (j), the following sub-rule shall be substituted namely:-
 - (j) “Forester training” means the training to be undertaken by Deputy Ranger or Forester at the Forest School as prescribed in the Rules;
3. In the said rules, in rule 5, for the words “thirty five”, the words and sign “forty-two” shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 10,-
 - (i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) Deputy Rangers and Foresters, shall undergo the Forester training for a period of eleven months, if appointed by direct recruitment and for a period of three months, if appointed by promotion, at Forest School. Forest Gaurds appointed by direct recruitment or by promotion shall undergo Forest Guard training for a period of 5^{1/2} months at the Forest School. The aforesaid training shall be conducted according to the conditions as laid down in Appendix ‘E’.”; and
 - (ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) The member of the Service, who obtains first position in the final examination of the Forest Guard training or Forester training from the Forest School shall be granted two advance increments in the form of Special Pay.”.
5. In the said rules, in rule 15:-
 - (i) In sub-rule (1), for the words, brackets, sign and figure “Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, the words, brackets, sign and figure “Haryana Civil services (Punishment and Appeal) Rules, 2016” shall be substituted; and
 - (ii) In sub-rule (2), for the words, brackets, sign and figure “clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, the words, brackets, sign and figure “clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rule, 2016” shall be substituted.
6. In the said rules, for Appendix A and B, the following Appendices shall be substituted, namely:-

“APPENDIX-A

(see rule 3)

Serial number	Designation of posts	Number of posts	Scale of pay
1	2	3	4
1	Forest Ranger	126	FPL-6 (Cell-I)= ₹ 35400/-
2	Deputy Forest Ranger	123	FPL-6 (Cell-I)= ₹ 35400/-
3	Forester	527	FPL-5 (Cell-I)= ₹ 29200/-
4	Forest Guard	1547	FPL-3 (Cell-I)= ₹ 21700/-

APPENDIX-B*See Rule 7*

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications, experience and physical standard, if any, for direct recruitment	Academic qualifications, experience and physical standard, if any, for appointment by promotion																														
1.	Forest Ranger	(a) Candidates must possess Bachelor's Degree (or equivalent) in Science or Engineering of any recognized University with atleast one of the following subjects:- (i) Agriculture (ii) Botany (iii) Chemistry (iv) Computer Applications/Computer Science (v) Engineering (Agriculture/ Chemical/ Civil/ Computer/ Electrical/ Electronics/ Mechanical (vi) Environmental Sciences (vii) Forestry (viii) Geology (ix) Horticulture (x) Mathematics (xi) Physics (xii) Statistics (xiii) Veterinary Science (xiv) Zoology ; (b) Hindi/Sanskrit as a one of the subject in Matric or Higher Education ; (c) (i) Minimum Physical standard: <table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>163 cms</td><td>150 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>79 cms</td><td>74 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>84 cms</td><td>79 cms</td></tr></table> The following minimum height standards may be allowed in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and Races such as Assamese, Bhutanese, Garhwalis, Gorkhas, Kumaonis, Ladakhese, Mizo, Naga, Nepalese, Sikkimese and those from Arunachal Pradesh, Lahaul and Spiti, Meghalaya:- Male Candidate 152 cm. Female Candidate 145 cm. (iii) Male/Female Candidates must pass a Physical test covering a distance of 25/14 kms. within four hours on foot, respectively.		Male	Female	(i) Height	163 cms	150 cms	(ii) Chest			Unexpanded	79 cms	74 cms	Expanded	84 cms	79 cms	By promotion: (i) Seven years experience as Deputy Ranger: (ii) Must have passed Forester training in accordance with Appendix E. By transfer or Deputation: (a) Bachelor of Science, with any two of the following subjects:- (i) Physics, (ii) Chemistry, (iii) Mathematics/Statistics, (iv) Zoology, (v) Botany, (vi) Geology; B.Sc. (Agri.) or B.Sc. (Hort.), or B.Sc. (Forestry) or Degree in Civil/ Environmental Engineering/ Environmental Sciences from a recognized university; (b) 10 years experience as Forest Ranger and has passed the Forest Ranger's training at Forest College; (c) Hindi/Sanskrit as a one of the subject in Matric or Higher Education ; (d) Minimum Physical standard: <table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>163 cms</td><td>150 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>79 cms</td><td>74 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>84 cms</td><td>79 cms</td></tr></table>		Male	Female	(i) Height	163 cms	150 cms	(ii) Chest			Unexpanded	79 cms	74 cms	Expanded	84 cms	79 cms
	Male	Female																															
(i) Height	163 cms	150 cms																															
(ii) Chest																																	
Unexpanded	79 cms	74 cms																															
Expanded	84 cms	79 cms																															
	Male	Female																															
(i) Height	163 cms	150 cms																															
(ii) Chest																																	
Unexpanded	79 cms	74 cms																															
Expanded	84 cms	79 cms																															

2.	Deputy Ranger	(a) Intermediate Science or 10+2 or its equivalent with any three of the following subjects:- (i) Physics, (ii) Chemistry, (iii) Mathematics (iv) Zoology, (v) Botany, (vi) Geology (vii) Agriculture (viii) Forestry from a recognized Board/ University; Or Diploma in Civil/Environmental Engineering/Environmental Science from a recognized Board/ University; (b) Hindi/Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education ; (c) Minimum Physical standard: <table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>168 cms</td><td>155 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>79 cms</td><td>74 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>84 cms</td><td>79 cms</td></tr><tr><td>(iii) Walking test of 25 kms for males and 14 kms for females to be completed in four hours.</td><td></td><td></td></tr></table>		Male	Female	(i) Height	168 cms	155 cms	(ii) Chest			Unexpanded	79 cms	74 cms	Expanded	84 cms	79 cms	(iii) Walking test of 25 kms for males and 14 kms for females to be completed in four hours.			By promotion: (i) Five years experience as Forester: (ii) Must have passed Forester training in accordance with Appendix E. By transfer or Deputation: (a) Intermediate Science or 10+2 or its equivalent with any three of the following subjects:- (i) Physics, (ii) Chemistry, (iii) Mathematics (iv) Zoology, (v) Botany, (vi) Geology (vii) Agriculture (viii) Forestry from a recognized Board/ University; Or Diploma in Civil/ Environmental Engineering/Environmental Science from a recognized Board/ University; (b) 10 years experience as Deputy Ranger and has passed the Forester training at Forest College; (c) Hindi/Sanskrit as a one of the subject in Matric or Higher Education ; (d) Minimum Physical standard: <table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>168 cms</td><td>155 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>79cms</td><td>74 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>84cms</td><td>79 cms</td></tr></table>		Male	Female	(i) Height	168 cms	155 cms	(ii) Chest			Unexpanded	79cms	74 cms	Expanded	84cms	79 cms
	Male	Female																																		
(i) Height	168 cms	155 cms																																		
(ii) Chest																																				
Unexpanded	79 cms	74 cms																																		
Expanded	84 cms	79 cms																																		
(iii) Walking test of 25 kms for males and 14 kms for females to be completed in four hours.																																				
	Male	Female																																		
(i) Height	168 cms	155 cms																																		
(ii) Chest																																				
Unexpanded	79cms	74 cms																																		
Expanded	84cms	79 cms																																		
3.	Forester	(a) Intermediate in Arts/Science or 10+2 in Science Group/Art/Commerce or its equivalent from recognized Board/ University, provided he has passed matriculation or its equivalent examination with Science/ General Science as one of the subjects. Knowledge of Hindi upto Matric Standard; (b) Hindi/Sanskrit as a one of the subject in Matric or Higher Education ; (c) Minimum Physical standard: <table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>168 cms</td><td>155 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>79 cms</td><td>74 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>84 cms</td><td>79 cms</td></tr><tr><td>(iii) Walking test of 25 kms for males and 14 kms for females to be completed in four hours.</td><td></td><td></td></tr></table>		Male	Female	(i) Height	168 cms	155 cms	(ii) Chest			Unexpanded	79 cms	74 cms	Expanded	84 cms	79 cms	(iii) Walking test of 25 kms for males and 14 kms for females to be completed in four hours.			By promotion: (i) Ten years experience as Forest Guard; (ii) Must have passed Forest Guard training in accordance with Appendix E. By transfer or Deputation: (a) Intermediate in Arts/ Science or 10+2 in Science Group/Arts/Commerce or its equivalent from a recognized University, Board provided he has passed matriculation or its equivalent examination with Science/General Science as one of the subjects; (b) 10 years experience as Forester training at Forest School; (c) Hindi/Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education ;															
	Male	Female																																		
(i) Height	168 cms	155 cms																																		
(ii) Chest																																				
Unexpanded	79 cms	74 cms																																		
Expanded	84 cms	79 cms																																		
(iii) Walking test of 25 kms for males and 14 kms for females to be completed in four hours.																																				

			(d) Minimum Physical standard:<table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>168 cms</td><td>155 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>79 cms</td><td>74 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>84 cms</td><td>79 cms</td></tr></table>		Male	Female	(i) Height	168 cms	155 cms	(ii) Chest			Unexpanded	79 cms	74 cms	Expanded	84 cms	79 cms																														
	Male	Female																																														
(i) Height	168 cms	155 cms																																														
(ii) Chest																																																
Unexpanded	79 cms	74 cms																																														
Expanded	84 cms	79 cms																																														
4.	Forest Guard	(a) Matriculate or equivalent examination from a recognized State Education Board/ University; (b) Hindi/Sanskrit as a one of the subject in Matric or Higher Education ; (c) Minimum Physical standard:<table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>168 cms</td><td>155 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>79 cms</td><td>74 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>84cms</td><td>79 cms</td></tr></table> (iii) Walking test of 25 kms for males and 14 kms for females to be completed in four hours.		Male	Female	(i) Height	168 cms	155 cms	(ii) Chest			Unexpanded	79 cms	74 cms	Expanded	84cms	79 cms	By promotion: (a) Matriculation or equivalent examination from a recognized State Education Board/university; (b) Five years experience as Mali/Head Mali ; (c) Hindi/Sanskrit as a one of the subject in Matric or Higher Education ; (d) Minimum Physical standard:<table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>168 cms</td><td>155 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>84 cms</td><td>79 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>89 cms</td><td>84 cms</td></tr></table> (iii) Walking test of 25 kms for males and 14 kms for females to be completed in four hours. By transfer or Deputation: (a) Matriculation or equivalent examination from a recognized State Education Board/university; (b) 10 years experience as Forest Guard and has passed the Forest Guard training at Forest School; (c) Hindi/Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education ; (d) Minimum Physical standard:<table><tr><td></td><td>Male</td><td>Female</td></tr><tr><td>(i) Height</td><td>168 cms</td><td>155 cms</td></tr><tr><td>(ii) Chest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Unexpanded</td><td>79 cms</td><td>74 cms</td></tr><tr><td>Expanded</td><td>84cms</td><td>79 cms</td></tr></table>		Male	Female	(i) Height	168 cms	155 cms	(ii) Chest			Unexpanded	84 cms	79 cms	Expanded	89 cms	84 cms		Male	Female	(i) Height	168 cms	155 cms	(ii) Chest			Unexpanded	79 cms	74 cms	Expanded	84cms	79 cms
	Male	Female																																														
(i) Height	168 cms	155 cms																																														
(ii) Chest																																																
Unexpanded	79 cms	74 cms																																														
Expanded	84cms	79 cms																																														
	Male	Female																																														
(i) Height	168 cms	155 cms																																														
(ii) Chest																																																
Unexpanded	84 cms	79 cms																																														
Expanded	89 cms	84 cms																																														
	Male	Female																																														
(i) Height	168 cms	155 cms																																														
(ii) Chest																																																
Unexpanded	79 cms	74 cms																																														
Expanded	84cms	79 cms																																														

7. In the said rules, for Appendix 'C', the following appendix shall be substituted, namely :-

“APPENDIX C

[see rule 15 (1)]

Serial Number	Designation of Post	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	First Appellate Authority	Second and Final Appellate Authority, If any
1	2	3	4	5	6	7
1.	Forest Ranger	Principal Chief Conservator of Forests	I. Minor Penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Chief Conservator of Forests/ Conservator of Forests	Additional Principal Chief Conservator of Forests	Principal Chief Conservator of Forests
			II. Major Penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services(Punishment and Appeal) Rules, 2016	Principal Chief Conservator of Forests	Government	
2.	Deputy Ranger	Additional Principal Chief Conservator of Forests	I. Minor Penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Chief Conservator of Forests/ Conservator of Forests	Additional Principal Chief Conservator of Forests	Principal Chief Conservator of Forests
			II. Major Penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services(Punishment and Appeal) Rules, 2016	Additional Principal Chief Conservator of Forests	Principal Chief Conservator of Forests	Government
3.	Forester	Conservator of Forests	I. Minor Penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Divisional Forest Officer	Chief Conservator of Forests/Chief Conservator of Forests	Additional Principal Chief Conservator of Forests
			II. Major Penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services(Punishment and Appeal) Rules, 2016	Conservator of Forests	Chief Conservator of Forests	Additional Principal Chief Conservator of Forests

Serial Number	Designation of Post	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	First Appellate Authority	Second and Final Appellate Authority, If any
1	2	3	4	5	6	7
4.	Forest Guard	Divisional Forest Officer	I. Minor Penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Divisional Forest Officer	Conservator of Forests	Chief Conservator of Forests
			II. Major Penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Divisional Forest Officer	Conservator of Forests	Chief Conservator of Forest.”.

8. In the said rules, for Appendix ‘E’, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“APPENDIX E

(See rule 10)

Periods of training

Condition and Syllabus for Forester Training and Forest Guard Training

1. The duration of the trainings prescribed under these Rules shall be as follows.

Name of training	Duration of training
Training of Deputy Rangers and Foresters appointed by direct recruitment	11 months
Training of Deputy Ranger and Foresters appointed by promotion	3 months
Training of Forest Guards appointed by direct recruitment and promotion	5 ½ months

The trainings shall consist of theory as well as practical work in the field. There shall be two trainings courses each for Foresters appointed by promotion and Forest Guards in each year.

Tours and excursion.

2. For practical works, the tours and excursions shall be organized during the trainings as follows.

Name of training	Duration of tours and excursions
Training of Deputy Rangers and Foresters appointed by direct recruitment	3 months
Training of Deputy Ranger and Foresters appointed by promotion	1 month
Training of Forest Guards appointed by direct recruitment and promotion	1½ months

The tours and excursions shall be conducted away from the forest school so as to equip the trainees with the application of the scientific knowledge of Forestry and allied subjects. The tours shall be extended to the State of Haryana and the adjoining States to make a comparative study. There shall be weekly excursions for practical work in the field. On the basis of tour and excursion tour tests shall be conducted.

Examination

3. The final examination shall be conducted by the Board. The class tests and tour tests shall however, be conducted by the Instructor. The Schedule of marks is given in Annexure I A, Annexure I B and Annexure II to this Appendix.

Declaration of the result.	4. The result will be declared by the Principal Chief Conservator of forests. The trainees shall be graded on the basis of the examination and tests as under :- <table> <tr> <th>Marks obtained</th><th>Grade</th></tr> <tr> <td>(a) Not less than 40% in each subject and in aggregate</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>(b) Not less than 40% in each subject and 80% or above in aggregate</td><td>Pass with honours</td></tr> </table>	Marks obtained	Grade	(a) Not less than 40% in each subject and in aggregate	Pass	(b) Not less than 40% in each subject and 80% or above in aggregate	Pass with honours
Marks obtained	Grade						
(a) Not less than 40% in each subject and in aggregate	Pass						
(b) Not less than 40% in each subject and 80% or above in aggregate	Pass with honours						
Award of certificate	5. At the conclusion of the training a merit list shall be prepared and announced along with the marks obtained by each trainee. Every successful trainee shall be awarded a certificate by the principal Chief Conservator as soon as the result is received in this office.						
Re-examination.	6. In case of the trainee who is not successful under rule 10, the Board may ask such trainee to reappear in any of the two subjects so as to obtain necessary pass marks in these subjects and in the aggregate.						
Award.	7. The following prizes shall be awarded to the trainees at the conclusion of the final examination :- (i) the trainee securing highest marks in the training "Silver Medal". (ii) best Practical Forester: A merit certificate.						
Number of Trainees.	8. There will be about 30 trainees in each training.						
Eligibility.	9. Forest Guard, Foresters and Deputy Rangers possessing the prescribed qualifications will be deputed to the training on seniority bases.						
Trainees to wear uniform.	10. The trainees shall arrange books and stationery as required by the Forest School themselves. The uniform may be arranged by the Forest School so as to bring uniformity, but the expenditure will be borne by division organization sponsoring the trainees.						
Commencement of the training.	11. The trainings prescribed under these Rules shall commence from the date which will be decided by the Conservator. There shall be two training courses each for Foresters appointed by promotion and Forest Guards in each year. The trainee shall report at the Forest school one day before the commencement the class. No trainee shall be allowed to join the training after 7 days of its commencement except with permission of the Principal Chief Conservator.						
Travelling Allowance.	12. The trainees shall be entitled to draw travelling expenses as per the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016.						
Disciplinary action for the poor performance.	13. The Instructor shall hold a class test after one month of the commencement of the training to assess the capability of trainees to follow the instructions. A trainee who does not qualify the test shall be advised to improve performance within on month of such an advice. A second test will be conducted by the Instructor soon after the expiry of the said period. Trainee failing in this test will be sent back, to the sponsoring division organization the Divisional Forest Officer, provided it is approved by the Conservator in the case of Forest Guard training and Principal Chief Conservator in case of Forester training and all the expenses defrayed on training including all pay and allowance shall be recovered from him.						
Punishment.	14. If the conduct of any trainee is found to be unsatisfactory, he is liable to be sent back by the Divisional Forest Officer to his sponsoring Division and shall also be liable to disciplinary action under the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and Haryana State Forest Executive Section (Group C) Rules, 1998.						
Lodging and other facilities.	15. All trainees shall stay in the hostel to be provided by the Forest School. The furniture, electricity, water supply, hostel equipment and other amenities shall also be provided by the school.						
Physical training.	16. Attendance in games and physical training shall be compulsory. Sports equipment shall be provided by the School.						
Marathon race.	17. There shall be a Marathon race of 10 kilometers during the course of training. The particulars of the race will be decided by the Divisional Forest Officer.						

- Vacation and leave. **18.** There shall be midterm vacation of ten days duration for the Deputy Ranger, Forester and Forest Guard training prescribed under rule 10 (2) commencing from a date of to be decided by the Conservator. The vacation days shall be debited to the leave account of the trainees. Normally no leave shall be granted to a trainee during the course of training. However, in exceptional cases short leave of absence from school may be granted by the Instructor. Nevertheless, 80% attendance in lectures and practical will be compulsory for admission to the final examination.
- Trainees Mess. **19.** All trainees are required to join common mess which will be managed by a mess committee to be elected by the trainees under the supervision of an Assistant Instructor. Mess equipment will be under the overall supervision of the Assistant Instructor but mess expenses will be borne by the trainees themselves.
- Holidays. **20.** The students are allowed to avail all gazetted holidays and Sundays during the training unless otherwise directed by the Instructor.
- Progress Report. **21.** Periodical reports on progress and conduct of each trainee shall be maintained by the Instructor. The reports will also indicate the marks obtained by the trainee in various tests and examinations held by the Forest School.

9. In the said rules, for Annexure-I, the following Annexure shall be substituted, namely:-

ANNEXURE I A

SYLLABUS FOR FORESTER TRAINING (Deputy Rangers and Foresters appointed by direct recruitment)

1. Silviculture and Forest Management

A-Theory

- 1.1 GENERAL INSTRUCTIONS** Forestry, its branches, Silviculture, Importance of Forests to the nation.
- 1.2 LOCALITY FACTORS:**
- 1.2.1 Climate Temperature, Temperature Zones, Frost damage to plants and protective devices, Frost hardy & frost tender species, Light demander and Shade bearer species, Wind Velocity, Mechanical effects, Moisture, Transpiration, Wilting point. Adaptation of plants, rainfall and its distribution, humidity, Microclimate. Factors affecting, Examples.
- 1.2.2 Site Topography, Altitude, Aspect, Slope, Drainage.
- 1.2.3 Soil Geology, Soil Profile, Soil formation process, Broad soil, type Problematic soil dealt with, PH value, Physical properties of soil and their importance, soil moisture, Soil aeration. Mulching, soil indicator, humus, soil nutrients, micro-organisms, species suitable for various types of soil, species suitable for different soil textures, Major elements needed for the growth. Soil aeration important for tree growth. Soils of Haryana, Saline alkali soils, Effect of salts on plant growth.
- 1.2.4 Biotic factors Fire, grazing, man and his activities with special emphasis on development project.
- 1.3 Raising of Forest Crops:**
- 1.3.1 Natural regeneration Where relied upon, present position, artificial regeneration, plantations, objectives, Industrial, plantation, timber, fire-wood and bio-aesthetic.
- 1.3.2 Site suitability with reference to Soil and climate Names of species for different sites:-
(a) Survey and layout; calculation of an area.
(b) Site clearance removal of shrubs and tall grasses, uprooting of stumps, debris burning. Use of tractors for jungle clearance.
- 1.3.3 Sources of stock Seed and plants, importance of seed source, seed collection of important species in Haryana, good and bad seed years, storage of seed, quantity of seeds required.

1.4 FOREST INFLUENCES:

- 1.4.1 Forest and climate Wind, humidity, evaporation, rainfall.
- 1.4.2 Forest and Water Conservation Natural sources of water table, Runoff.
- 1.4.3. Forest and Soil conservation Erosion by water and wind.
- 1.4.4 Forest and Wildlife Their recreational value for tourism, Ecosystem.

1.5 PLANT SUCCESSION

General ideas of plant succession/stage of succession, Primary & secondary succession, Retrogression, Examples.

1.6 FORM AND GROWTH OF TREES AND CROPS:

- 1.6.1 Tree Morphology: Herb, shrub, tree etc. define parts of flowering plants (root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit, seed).
- 1.6.2 Tree growth Phenology, seed size, seed dispersal, germination and establishment, germinating capacity, seeding establishment & development.
- 1.6.3 Crop morphology and growth Canopy classes in even aged and uneven aged forests, crop height, crop diameter, mixed, and pure forests.

1.7 PLANT PHYSIOLOGY:

General ideas of plant physiology, plant nutrients, heart-wood & sapwood, ascent of sap, transpiration, photosynthesis.

1.8 FOREST REPRODUCTION:

- 1.8.1 Regeneration: Natural and artificial regeneration.
- 1.8.2 Artificial : Reforestation, afforestation, natural verses artificial regeneration. Choice of species, mixed v/s pure plantation, treatment of planting area, sowing V/s plantation, spacing.
- 1.8.3 Seed Collection, storage, treatment, seed weight.

1.9 Nursery:

Definition, necessity, site selection, temporary and permanent nurseries, area requirement, layout, maintenance, Cost factor, details of chil, Khair, Shisham, Eucalyptus, Siris, Kikar, Jand, Acacia tortilis, Frash Poplar, Mesquit, Mulberry, Sal and some knowledge of ornamental plants, Mycorrhiza, maintenance of various nursery registers.

1.10 Tending operation:

Weeding, cleaning, thinning, improvement felling cultural operation, pruning, climber cutting, coppice thinning.

1.11 Irrigated Plantation:

Necessity, size, layout, water requirements, choice of species, general idea comparing irrigated plantations and un-irrigated compact plantations.

1.12 Afforestation:

Reforestation, suitable species for sand-dunes, Saline/Alkali soils, Aravalli Hills, Shivalik Hills. water logged areas, frost hardy and frost tender species, important ornamental trees, shrubs and climbers, limiting factors, Choice of species and other treatment for Panchayat land plantations, farm forestry and avenue plantations.

1.13 Silviculture Characters:

Chil, Sal, Khair, Shisham, jand Acacia tortilis, Eucalyptus, poplar, Neem, Siris, Kikar and Bamboo etc.

1.14 Forest Management

Definition, working plan, working circle compartment and sub-compartment, boundaries, boundary pillars, coupe, block, felling series, rotation yield, Increment, normal forest, Diameter and girth classes, site quality, sustained yield, elementary knowledge of silvicultural systems (clear felling, selection, coppice and uniform system), volume table and yield table.

1.15 Management :

Chil, Sal, Khair, Bamboo, Shisham, Eucalyptus, Kikar Forests.

1.16 Forest Types:

Major types/groups found in Haryana, basis of classification.

1.17 SOCIAL FORESTRY:

- 1.17.1 Concept and scope of social forestry.
 1.17.2 Practices and benefits of social forestry.
 1.17.3 How to make it popular among the farmers.

1.18 LANDSCAPING

- 1.18.1 Landscaping, its concept, relationship with environment.
 1.18.2 How to beautify public places, highways and tourist complex etc.

B PRACTICAL

- 1.19 Use of Instruments:** Calipers, tapes, height measuring instruments e.g. altimeter and Abney's level.

- 1.20 Tending Operations** Ring-counting, marking, enumeration, cleaning, thinning, improvement felling.

- 1.21 Nursery Works:** Layout, weeding and hoeing, sowing planting, maintenance of various nursery forms.

- 1.22 Field Botany:** Identification of specimens of important forest species.

- 1.22.1 Specimen collection:
At least 25 botanical specimens.

- 1.22.2 Seed Collection:
At least 15 seed specimens.

1.23 FOREST PROTECTION:

Fire Protection measures.

- 1.24 Plant Phenology:** Kinds of leaf, Different parts of a flower.

2. SOIL AND WATER CONSERVATION**(A) THEORY**

- 2.1 Soil Conservation:** Meaning of soil conservation, extent of soil erosion in India and in Haryana, III effects of soil erosion.

- 2.2 Soil:** Soil defined, soil formation, physical properties of soil, soils of India, land capability classes plans for land use.

- 2.3 Water:** Use of water, losses of water, transpiration, evaporation, water cycle.

- 2.4 Soil Erosion:** Types of erosion, causes of erosion, loss of soil due to erosion.

- 2.5 Soil Conservation Practices:** Different conservation techniques in agriculture and forest lands, biological and mechanical methods of erosion control.

2.6 ROLE OF FORESTS IN SOIL AND WATER CONSERVATION

- 2.6.1 Afforestation techniques for saline and alkali soils, denuded hills of Aravalli and Shivalik ranges, water logged areas, arid and semi-arid areas.

- 2.7 Wind Erosion:** Wind action, problems of wind erosion, sand-dune fixation works, choice of species and layout for wind breaks and shelter belts.

- 2.8 Mechanical methods of erosion control:** Bunding, terracing, contour trenching mulching, check dams, masonries dams, gabion structures, vegetative dams, floods control.

- 2.9 Cho-Training:** Meaning of cho-training, cho-training works, deflection spurs, channelizing of streams.

- 2.10 Range Management:** Problems, pasture development, species suitable for

- 2.11 Dry-Farming:** Meaning of dry farming and its objects.

(B) PRACTICAL

- 2.12** : Gully plugging, Check damming,
Contour bounding and trenching.
- 2.13** : Cho-training works.
- 2.14** : Watt ling and mulching.

3. LOGGING AND UTILIZATION**(A) Theory**

- 3.1 STRUCTURE OF THE WOOD:** Sapwood, heartwood, pith, annual rings and texture.
- 3.2 PROPERTIES OF THE WOOD:** Weight, hardness, flexibility (seasoning power), durability, heating power, colour, grain and odour.
- 3.3 MECHANIZED LOGGING AND MODERN LOGGING TOOLS:**
- 3.3.1 Logging definition: History, conventional logging practices, modern logging practices, logging training, necessity of improved logging.
- 3.3.2 Logging tools and equipment: Basic logging tools, logging equipment, power chain saw.
- 3.3.3 Maintenance of logging tools and equipment: Maintenance of saws and axes, common faults in maintenance of saw, maintenance of mechanized equipment.
- 3.3.4 Felling and Conversion: General principles of felling trees, methods of felling of trees, season of felling, cross cutting, recording of felled trees, conversion into timber and fuel wood, classification of round and sawn timber, measurement and volume calculation.
- 3.3.5 Transportation: General methods of transportation, choice of method of transportation.
- 3.3.6 Storage of forest produce: Classification of depots, management of depots.
- 3.3.7 Disposal and sale: System of extraction, system of sales.
- 3.3.8 Organization: Classes of labour, wages, supervision.
- 3.3.9 Saw milling: General, classification, installation, maintenance.
- 3.4 DEFECTS OF WOOD:**
- 3.4.1 Abnormal growth: Knots, Twisted grain, burrs, buttress.
- 3.4.2 Defects due to rupture of tissues: Shakes, end splits, surface crack, collapse, warping and decay.
- 3.4.3 Defects of timber: Twisted grain, Burrs, Buttress, Knot, Fluting, Twisting and decay.
- 3.4.4 Defects resulting from wounds: Pruning, fire, animal damage, insect damage, parasite damage.
- 3.5 Defects of Timber:** Definition, methods of seasoning, kiln seasoning in detail, seasoning defects.
- 3.6 Preservation of Timber:** Importance of preservation, soluble and insoluble preservatives, methods of treatment, treatment of sleepers and bamboos, fire proofing of timber.
- 3.7 Species Suitable For:** Railway carriages and sleepers, building mine, props, piles and house posts, Electric and telephone poles, boats and dugouts, cable making, furniture making, vehicle parts, tools handles, boxes and packing cases, plywood, matchbox industry, paper pulp industry, sports goods, bobbin, toys, combs, pencils, walking sticks, umbrella handles, tent poles, tent pegs, mathematical instruments, Firewood etc.
- 3.8 General ideas in brief:** About plywood, hard board, practical board, pulp and rayon.
- 3.9 Minor Forest Produce:** Fibers and flosses, bamboos, grasses oil seeds, tans and dyes gums, resin, katha, essential oils and medicinal plants, edible products.

3.10 IMPORTANT FOREST INDUSTRIES:

- (i) Katha manufacturing.
- (ii) Resin tapping.
- (iii) Railway sleepers: Standard sizes, Specification, Species;
- (iv) charcoal making

3.11 Grading rules for logs and sleepers in brief.

(B)-Practical

3.12 Identification of Building Timber: Shisham, Mango, Tun, Khair, Mulberry, Chil, Deodar, Teak Sal, Kail, Kikar, Eucalyptus and Poplar.

3.13 Timber classification and passing of sawn timber, logs and bamboos,

3.14 Practice of felling trees by axe and saw including lopping and conversion.

3.15 Measurement of sawn and round timber, volume calculation, stacking of sawn and round timber.

3.16 Visit to paper, resin, katha, plywood and matchwood factories, charcoal kilns and lime kilns.

3.17 Training in resin tapping.

3.18 Maintenance of felling register, depot registers etc.

4. FOREST ENGINEERING**(A) Theory**

4.1 Building Material: Stone, Classification of rocks, requirements of good building stone, quarrying of stones, bricks classification, size of bricks, fire brick, tiles, lime, classification, storing cement, properties of Portland cement, storing and uses, classification and uses of *Surkhi*, cement concrete, reinforcement.

- 4.2 Building:**
- (i) Selection and preparation of site in foundation, choice of foundation, bed and its preparation, width and depth of foundation;
 - (ii) Thickness of concrete beds, preparation against white ants, damp proof courses;
 - (iii) Thickness of walls, Scaffoldings, Bonds, doors, windows floors;
 - (iv) Roof types, roof trusses (king post and queen post);
 - (v) Plastering: mud, lime, cement painting;
 - (vi) White washing, colour washing, painting.

4.3 ROADS:

4.3.1 Introduction: Section of forest roads, gradients, metalling.

4.3.2 Forest roads: alignment, reconnaissance, alignment of road in plains, preliminary survey, obligatory points and gradients for different roads.

4.3.3 Road design: Road width with shoulders, camber, longitudinal and cross section cost estimates, retaining and breast walls, cross drains, side drains.

4.3.4 Maintenance of roads: Surface maintenance, improvement of existing roads.

- 4.4 BRIDGES/CULVERTS:** General description of important types of bridges and culverts.
- 4.5 WATER SUPPLY:** General sources of supply, water table, sinking of wells, shallow and deep wells, purification of water, cleaning and protection of well.
- 4.6 DRAWING:** Plans, elevations and cross section, preparation of estimates for range quarter, forester quarter and forest guard quarter.

(B)- Practical

- 4.7** Collection of at least 6 rock specimens
- 4.8** Layout of building
- 4.9** Reading of plans.
- 4.10** Alignment of Paths and roads.
- 4.11** General engineering calculations.

5. Survey and Engineering

A-Theory

- 5.1 Introduction:** Surveying defined, objects and scope of forest survey.
- 5.2 Scales:** Scale, R.F. Plan and diagonal scales, construction of scales.
- 5.3 Measurement of Distance:** Instruments used for measuring distances, advantages and disadvantages of chains and tapes, ranging out and chaining survey line, measuring sloping ground, errors in chaining.
- 5.4 CHAIN SURVEYING:** Scope of chain surveying, Use of cross staff and optical square, simple problems of obstacle in chaining.
- 5.5 PRISMATIC COMPASS SURVEY:** Construction of compass, Method of using compass, Measurement of angles with compass bearing, Simple calculations on bearing.
- 5.6 PLANE TABLE SURVEY:** Plane table, Plane table accessories, Setting up the plane table at a station Method of plane tabling, its scope and advantages.
- 5.7 AREA CALCULATIONS:** Use of Acre comb and acre square, computation of area from yield note books by trapezoidal rule.
- 5.8 MAPS AND MAP READING:** Map defined, plan of map, scale of map, conventional signs, orientation of map, importance of maps in forestry, representation of relief on map, contours, important relief features.

B-Practical

- 5.9 Chain Survey** Use of chain and tapes, Ranging out and chaining a survey line, Field work, plotting and drawing of a chain survey.
- 5.10 Chain and Compass Survey:** Field plotting and drawing.
- 5.11 Plain Table Survey.** Field work, plotting and drawing.
- 5.12 USEFUL PROBLEMS IN FOREST SURVEYING** To layout a coupe, to survey fire burnt area, to reestablish boundary pillars, layout of right angles, contour trenches and bunds.
- 5.13 Map Reading.** Reading of stock, management and control maps and survey sheets.

6. Range Account and Procedure

- 6.1** Classification of forest revenue and expenditure with different measure, minor and sub-heads.
- 6.2 RANGE ACCOUNT (PRACTICAL EXERCISE)**
Writing of cash book, closing the account and balancing, maintenance of form No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, writing vouchers, filling up muster-roll and daily sheet, writing pay bill and other bills, preparation of travelling allowance bills, leave and leave account.

- 6.3 Budget control Objection statement on monthly account.
- 6.4 Daily allowance, General Provident Fund, joining time, tour, Annual Plant Operation, treasury challan, damage report book, compensation form book, compensation receipt book, compensation and prosecution register, linking of various forms etc.
- 6.5 Duties of Forest Guard, Forester, Deputy Ranger and Range Officers.

7. Forest Law

- 7.1 Necessity for special forest law.
- 7.2 Study of Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), Cattle trespass Act, 1871 (Central Act 1 of 1871), Wildlife Protection Act, 1972 (Central Act 53 of 1972), Punjab Land Preservation Act, 1900 (Punjab Act 2 of 1900) in so far as they are required for the conduct of ordinary protection duties.
The Forest Conservation Act, 1980 (Central Act 69 of 1980) Standing order No. 28.
- 7.3 Forest offences, Damage reports, compounding of offences in detail (as per Chief Conservator of Forests Standing order).
- 7.4 Detailed procedure for prosecution in the court of law.
- 7.5 Power of forest officer regarding recording of evidence, power of search seizure, arrest, compensation, prosecution and payment rewards etc.

8. Environmental Conservation and Forest Protection

- 8.1 **ENVIRONMENT:** Introduction, Atmosphere, the Oxygen Cycle, Carbon Cycle, Nitrogen Cycle, Ecological Niches, Biosphere, Habitat.
- 8.2 **POLLUTION:** Introduction, water, air and soil pollution.
- 8.3 **FOREST PROTECTION :**
 - 8.3.1 Introduction: Definition Importance of forest protection, Susceptibility of forests to damage.
 - 8.3.2 Damage by man and fire: Faulty management and control of forest offences, forest fires, types of fires, damage from fire, benefits, protection against fire, preventive measure, external and internal firelines, combative measures methods of putting out of fires, remedial measure, control burning.
 - 8.3.3 Damage by animals: Grazing and the types of grazing, damage from cattle and wild animals, small rodents, protection from insects, protection against cattle, wild animals and rodents.
 - 8.3.4 Protection against plant enemies: Weeds, parasites, fungi.
 - 8.3.5 Adverse climatic factors: Frost, cause of mortality, control of mortality by frost, wind brought, snow, hails, smoke of factories, flood, shifting sand.

9. Wildlife Management

A-Theory

- 9.1 Definition of wildlife, scope, role, benefits and distribution of wildlife in the State.
- 9.2 How to study habits of wildlife, Tracks, trails, Kill evidence, census, aging and sexing, Recording of field observations and their interpretation, modern methods.
- 9.3 Ecology of wildlife, Animal communities, Competition, Predation and ecological niche (Simple explanation only) Pinch period with special reference to the wildlife of the state.
- 9.4 Concept of wildlife population, Territory, Home Range etc. Need for census, important methods of census.
- 9.5 Limiting factors, decimating factors, welfare factors, environmental resistance, factors limiting or diminishing wildlife population of the state, Hunting, Degradation of habitat and reduction of forest area.

- 9.6** Coordination of management practices of forestry and wildlife.
- 9.7** Sanctuaries, National parks and closed areas. Concepts simply defined. Sanctuaries, National parks and closed areas of the State, their administration. Problem in managing state sanctuaries, National Park land, closed areas.
- 9.8** Zoos and animal parks, their importance and management.
- 9.9** Wildlife of the state, Procedure on the commission of offences.
- 9.10** Introduction of weapons, traps, nets and snares and other equipment.

B-Practical

9.11 VISIT TO SANCTUARIES/NATIONAL PARKS:

- (a) Recording tracks and trails, Follow a track or trail to find the animals.
- (b) Game watching
- (c) Introduction to bird watching and bird watching excursion.
- (d) Census by counting signs such as pug marks, pellet group etc.

9.12 Lecture on management of the sanctuary/national park visited, by a sanctuary officer.

- 9.13** (a) Study of habitat of important animals and birds.
(b) Preparing list of animals and birds seen in the field.

9.14 VISIT TO ZOOS:

The following studies should be made:

- (i) List of animals, birds and reptiles seen in the zoo.
- (ii) Breeding of some important animals, especially of rare and threatened species.

Note: All Technical Notes Issued by the Haryana Forest Department are also Included in the Syllabus.

SCHEDULE OF MARKS FOR FORESTER TRAINING

Serial Number	Name of Examination	Written Paper	Practical	Particulars	Marks	Total Marks	Remarks
		Time	Marks				
1	Silviculture and Forest Management	3 Hours	100	Thinning (20) Height and diameter measurement (10) Seed collection (10) Botany specimen (10)	50	150	Conservator
2	Soil and Water Conservation	3 Hours	75	Application of conservation techniques in the field	25	100	Conservator
3	Logging and Utilization	3 Hours	60	Note book	20	80	Divisional Forest Officer, Timber Extraction to be nominated by the Conservator
4	Forest Engineering	3 Hours	50	Drawing sheet, Reading of simple plan, plan estimate, Alignment of road and paths, layout of a building from the plan	30	80	Divisional Forest Officer
5	Surveying and Map Reading	2 Hours	50			50	Instructor

Serial Number	Name of Examination	Written Paper	Practical	Particulars	Marks	Total Marks	Remarks
		Time	Marks				
6	Range Accounts	3 Hours	50	Field observation	25	75	Deputy Chief Wildlife Warden
7	Forest Law	3 Hours	50			50	Instructor
8	Environment Conservation and Forest Protection	2 Hours	40			40	Conservation
9	Wildlife Management	3 Hours	50	Field observation	25	75	Deputy Chief wildlife Warden
10	Mid Terms		50			50	Instructor
11	Tour Tests		30	Tour Journal	10	55	Instructor
				Field Botany	15		
12	Viva voce		100			100	Jointly by the board
13	Physical Training and Games		20			20	In charge, Physical Training games
14	Marathon Race (10 Kilometers)		20			20	In charge, Physical Training games
15	Conduct Marks		50			50	Division Forest Officer, Instructor and Asstt. Instructor
Total						1000	

Annexure I B**SYLLABUS FOR FORESTER TRAINING (Deputy Rangers and Foresters appointed by promotion)****1. Silviculture and Forest Management****A-Theory**

- 1.1 Afforestation:** Definition and scope. Natural versus artificial regeneration. Choice of species, mixed v/s pure plantation Treatment of planting area, sowing v/s Plantation, spacing.
- 1.2 Nursery:** Necessity, site selection, temporary and permanent nurseries, Area requirement- layout, maintenance, cost factor, Nursery techniques of chil, Khair, shisham, eucalyptus, siris, kikar, jand, acacia tortilis, palash, poplar, mulberry, sal and some knowledge of ornamental plants, mycorrhiza, maintenance of various nursery registers.
- 1.3 Tending Operations:** Weeding, cleaning, thinning, improvement felling cultural operation, pruning, climber cutting, coppice thinning.
- 1.4 Species Selection and Afforestation Techniques:** Choice of species for arid and semi-arid, alkaline soils, afforestation techniques for saline and alkaline soils. Denuded hills of Aravalli and Shivalik Ranges, water logged areas, arid and semi-arid areas, sand – dune fixation, layout for wind breaks and shelter belts.
- 1.5 Tree Improvement in Haryana:** Seed collection and storage. Candidate plus tree (CPT), selection of CPT, seed quality, seed production area, clones, clonal multiplication area (CMA); tissue culture, budding and grafting.
- 1.6 Plant Physiology:** General idea of plant physiology, plant nutrients, Heart-wood and sapwood, Ascent of sap, Transpiration, brief idea of Photosynthesis.
- 1.7 Role of Pollinators:** Role of Honey bees and other pollinators in Forest Eco-system.
- 1.8 Working Plan:** Preparation of Forest Working Plans.

B-Practical

- 1.9 Visit to Modern Nursery and Plantation on Problematic Soils.**

2. Soil and Water Conservation**A-Theory**

- 2.1 Soil Conservation:** Meaning, extent of soil erosion in India and in Haryana.
- 2.2 Soil:** Types of soil in Haryana, problematic soil, their types.
- 2.3 Erosion:** Types and its causes, loss of soil due to erosion.
- 2.4 Soil Conservation Practices:** Different techniques in agricultural and forest lands, Biological and mechanical methods of erosion control.
- 2.5 Wind Erosion:** Sand-dune fixation, choice of species.
- 2.6 Mechanical Methods of Erosion Control:** Bunding, terracing, contour trenching mulching, check dams, masonry dams.
- 2.7 Cho-Training:** Cho-training species, channelizing of streams.
- 2.8 Dry-Farming:** Meaning of dry farming and its objectives.

3. Forest Utilization**A-Theory**

- 3.1 Non Timber Forest Produce:** Definition, importance, bamboo, gum, honey, grass, khus, leaves, eucalyptus oil, silk, fruits, resin, katha.
- 3.2 Medicinal Plants:** Conservation and culture of medicinal plants, important medicinal species, herbal useful parts, National Medicinal Plants Board, State Medicinal Plants Board.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 3.3 | Forest based Industries: | Definition, rules and regulation, issue of licenses to forest based Industries and saw mills, wood seasoning, veneer and plywood, composite wood, different kinds of boards, wood polish and paints. |
| 3.4 | Logging Tools and Equipment: | Mechanized logging and modern logging tools. |
| 3.5 | Felling and Conversion: | Recording of felled trees, DL Forms, measurements and volume calculation. |

4. Survey and Engineering

A-Theory

- | | | |
|-----|---|--|
| 4.1 | Introduction: | Definition, objects and scope of forest survey. |
| 4.2 | Scales: | Scale, R.F. Plan and diagonal scales, construction of scales. |
| 4.3 | Types of Survey: | Measurement of distance, Prismatic Compass survey, Plain table survey, Chain survey (brief summary). |
| 4.4 | Area Calculations: | Use of Acre Comb and Acre Square, Computation of area from yield note books by Trapezoidal rule. |
| 4.5 | Maps and Map Reading: | Definition, Plan of map, Scale of map, Conventional Signs, orientation of map, importance of maps in forestry, representation of relief on map, contours, important relief features. |
| 4.6 | Global Positioning System (GPS): | Its usage, calculation of area, longitude, latitude, application of remote sensing, application of GIS in forestry. |
| 4.7 | Building Materials: | Classification of stones, good building stone, bricks classification and sizes, fire bricks, limes, cement, storage of cement, properties of good cement, storage and use, cement concretes, reinforcement. |
| 4.8 | Building: | (i) Selection and preparation of site in foundation, choice of foundation, preparation of bed, width and depth of foundation;
(ii) Thickness of concrete beds, preparation against white ants;
(iii) Damp proof courses;
(iv) Thickness of walls, scaffoldings, bonds, doors, windows floors, roof types;
(v) Plastering, white washing. |
| 4.9 | Roads, Bridges and Culverts | Brief introduction. |

B-Practical

- | | |
|------|---|
| 4.10 | Chain Survey. |
| 4.11 | Plain Table Survey. |
| 4.12 | Chain and Compass Survey. |
| 4.13 | Use of GPS in boundary demarcation and finding location of a particular area. |
| 4.14 | Map Reading. |
| 4.15 | Layout of building. |
| 4.16 | Alignment of paths and roads. |

5. Accounts and Procedures

A-Theory

- | | |
|--|---|
| 5.1 Forest Revenue and Expenditure: | Classification of forest revenue and expenditure with different measure, minor and sub-heads. |
| 5.2 Range Account (Practical Exercise): | Writing of cash book, closing of the account and balancing, maintenance of forms No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, writing of vouchers, preparation of travelling allowance bills, leave and leave account. |
| 5.3 Maintenance of Damage Reports: | Treasury challan; damage report book, compensation form book, compensation receipt book, compensation and prosecution register Linking of various forms etc. |
| 5.4 Miscellaneous: | Daily allowance, General Provident Fund, joining time, APO. |

6. Policy and Legal issues in Forestry

A-Theory

- | | |
|-----------------------------|---|
| 6.1 Forest Policy: | Forest policies of 1894, 1952, 1988. After effects, constraints in implementation of policy, State Forestry Action Plan. |
| 6.2 Forest Acts: | Indian Forest Act, 1927 (Central Act 27 of 1927), Forest Conservation Act, 1980 (Central Act 69 of 1980), Wildlife Protection Act, 1972 (Central Act 53 of 1972); Punjab Land and Preservation Act, 1900 (Punjab Act 2 of 1900). Brief overview relevant provisions of other associated Acts. |
| 6.3 Forest Offences: | Compounding of offences, procedure for prosecution, and power of forest officers. |
| 6.4 Miscellaneous: | Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860), Criminal Procedure Code, 1973 (Central Act 2 of 1974), Industrial Dispute Act 1947 (Central Act 14 of 1947), Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005). |

7. Environmental Conservation and Forest Protection

A-Theory

- | | |
|---|---|
| 7.1 Damage to Forests: | Damage by fire, animals, weeds, parasites, fungi, diseases insects, adverse climatic factors and illicit felling. |
| 7.2 Damage Control: | Commonly used insecticides, herbicides and fungicides. |
| 7.3 Forest Fire and Disaster Management: | Brief concepts. |
| 7.4 Environment: | Introduction, Atmosphere, the Oxygen Cycle, Carbon Cycle, Nitrogen Cycle, Ecological Niches, Biosphere, Habitat. |
| 7.5 Pollution: | Introduction, water, air and soil pollution. |
| 7.6 Biodiversity Conservation: | Concept of biodiversity conservation, climate change. |

8. Wildlife Management

A-Theory

- | | |
|-----------------------------|---|
| 8.1 Introduction: | Habitat ecology, habitat management and food chain. |
| 8.2 Wildlife Crimes: | Types of crimes, investigation, interrogation techniques and prosecution. |

- | | | |
|---------------------|--|--|
| 8.3 | Zoo Management: | Management of zoos, recording of field observations. |
| 8.4 | Sanctuary and National Park: | Brief introduction about the sanctuaries and National Parks of Haryana State. |
| 8.5 | Management Plan: | Preparation of wildlife management plan as per recent guidelines of Government of India (GoI). |
| 8.6 | Miscellaneous: | Wildlife Census Techniques, Concept of closed areas. |
| B. Practical | | |
| 8.7 | Visit to National Parks and Sanctuaries of Haryana and adjoining states. | |

9. Joint Forest Management

A-Theory

- | | | |
|------------|---|--|
| 9.1 | Introduction: | Guidelines of Government of India regarding Joint Forest Management. |
| 9.2 | Forest Development Agencies and Village Forest Committees: | Formation of FDAs and VFCs in support to agriculture, animal husbandry and horticulture, participation of local people in forest protection, facilitation plantations in village with co-operation of the villagers, agro-forestry models, role of forest department in JFM. |
| 9.3 | Micro Planning and SHGs: | Concept of micro planning, active participation of women and formation of Self Help Groups, Women Empowerment. |
| 9.4 | Miscellaneous: | Forest related welfare schemes of Government, extent of gap in demand and supply of fuel, fodder, fruit, food and small timber. |

B-Practical

- | | |
|------------|--|
| 9.5 | Visit to JFM Village, study and preparation of micro plan, EPA activities, SHG and IGA activities. |
| 9.6 | Micro plan information demonstration (pre-requisites). |

10. Basics of Computer Applications

A-Theory

- | | | |
|-------------|---|--|
| 10.1 | Introduction: | Brief history, hardware, software and operating system. |
| 10.2 | MS Word: | Edit, save, copy, paste, print, block, mail merge, spell check, thesaurus. |
| 10.3 | MS Excel: | Spread sheet, menu, graphs, calculations, printing, copy, edit and paste. |
| 10.4 | Internet: | E-mail and internet, E-mails sent, receive, compose. |
| 10.5 | Application of Computer in Forestry: | Data management, representation through graphs. |

B-Practical

- | | |
|-------------|--|
| 10.6 | Practical of above mentioned topics in computer lab. |
|-------------|--|

11. Eco-Tourism

A-Theory

- | | | |
|-------------|-----------------------|--|
| 11.1 | Introduction: | Concept, definition, policy and guidelines, impact of eco-tourism. |
| 11.2 | Miscellaneous: | Sustainability, sustainable design and planning, recreation forestry, integrated town planning and landscaping, layout and design of parks, green zones, green belts close to urban areas. |

B-Practical**11.3 Case study:- Visit to Thapli Nature Camp and Eco-tourism sites of adjoining states.**

SCHEDULE OF MARKS FOR FORESTER TRAINING (PROMOTEE)							
Serial Number	Name of Examination	Written Paper	Practical	Particulars	Marks	Total Marks	Remarks
		Time	Marks				
1.	Final Examination (for the whole syllabus)	3 Hours	100			100	Examination Board (CF, DFO and Instructor)
2.	Tour Tests		50	Tour Journal	30	100	Instructor
				Field Botany	20		
3.	Viva voce		100			100	Jointly by the board
4.	Physical Training Games		20			20	In charge Physical Training games
5.	Marathon Race (10 kms)		20			20	In charge Physical Training games
6.	Conduct Marks		60			60	Divisional Forest Officer, Instructor and Asstt. Instructor
				Total		400	

DR. G. ANUPAMA,
Principal Secretary to Government of Haryana,
Forests Department.